

अनुबंध 1.1

(पैराग्राफ 1.3.2.2 के संदर्भ में)

कुल अदत्त आर्थिक सहायता दावों से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसयू/निगम का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान केवल तीन तिमाहियों के अदत्त रहे दावे	2016-17 के दौरान प्रस्तुत किए गए चौथी तिमाही के दावे	2016-17 के अंत में अदत्त रहे दावे का अंत शेष	पिछले वर्षों के अदत्त दावों सहित, लेकिन वर्ष 2016-17 हेतु पिछली तिमाही के दावे को छोड़कर अदत्त रहे दावे
	1	2	3	4	5=(4-3)
1	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	2040.29	634.57	4044.91	3410.34
2	राष्ट्रीय रसायनिक एवं उर्वरक लिमिटेड	1236.44	1037.56	3186.99	2149.43
3	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	243.60	228.37	379.67	151.30
4	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	350.86	7.82	337.60	329.78
5	ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम	31.59	81.38*	274.46	193.08
6	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	7174.26	0.00**	7174.26	7174.26
7	भारतीय खाद्य निगम	92254.48	29921.33	204376.56	174455.23
	कुल	103331.52	31911.03	219774.45	187863.42

* ₹81.38 करोड़ में अतिरिक्त लागत/ईएससी शामिल है।

** अंतिम तिमाही की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

अनुबंध 2.1

(पैराग्राफ 2.2.1- ए के संदर्भ में)

राजस्व और पूँजीगत मुख्य शीर्षों जिनके अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' 2016-17 में संचालित किया गया था जिसे मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय के 50 प्रतिशत से ज्यादा लेखाबद्ध किया गया, का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष -800 के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1.	2014-प्रशासनिक न्याय	927.98	470.92	50.75
2.	2506-भूमि सुधार	143.94	87.69	60.92
3.	2552-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (एनईआर)	566.52	404.97	71.48
4.	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	231.23	229.31	99.17
5.	3053-नागरिक उड्डयन	504.64	284.82	56.44
6.	4402-मिट्टी और जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	0.65	0.65	100.00
7.	4552- उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	384.03	194.08	50.54
8.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	25.77	19.23	74.62
9.	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	47.86	42.96	89.76
10.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं पर पूँजीगत परिव्यय	17.26	9.83	56.95
11.	4853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	36.29	36.29	100.00
12.	5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3247.60	3232.87	99.55
13.	5453-विदेश व्यापार और निर्यात प्रोत्साहन पर पूँजीगत परिव्यय	60.00	65.00	108.33*
कुल		6193.77	5078.62	

* मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय, अधिक भुगतानों की वसूलियों की कटौती के कारण लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय से कम है।

अनुबंध 2.2

(पैराग्राफ 2.2.1-बी के संदर्भ में)

ऐसे राजस्व मुख्य शीर्षों का विवरण जिनके अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्ति' 2016-17 में संचालित किया गया था तथा जिसमें मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल प्राप्ति के 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति को लेखाबद्ध किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष: 800-अन्य प्राप्ति के अंतर्गत प्राप्ति	प्रतिशतता
1.	0029-भूमि राजस्व	3.54	2.37	66.95
2.	0030- टिकट और पंजीकरण शुल्क	183.17	102.39	55.90
3.	0047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	84.53	83.02	98.21
4.	0049- ब्याज प्राप्ति	43496.06	24711.63	56.81
5.	0077-रक्षा सेवाएं - नौसेना	332.49	196.19	59.01
6.	0078- रक्षा सेवाएं - वायु सेना	2371.71	1856.53	78.28
7.	0080-रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	353.16	353.16	100.00
8.	0202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	266.23	240.63	90.38
9.	0230- श्रम एवं रोजगार	27.59	22.82	82.71
10.	0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3427.95	3427.68	99.99
11.	408 - खाद्य भंडारण एवं वेयरहाउसिंग	10.22	10.21	99.90
12.	425- सहकारिता	1.79	1.78	99.44
13.	435- अन्य कृषि कार्यक्रम	18.88	13.73	72.72
14.	515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.46	0.46	100.00
15.	701- मध्यम सिंचाई	19.00	19.00	100.00
16.	702- लघु सिंचाई	1.31	1.31	100.00
17.	0803- कोयला एवं लिग्नाइट	432.73	432.73	100.00
18.	0852- उद्योग	3046.12	1681.18	55.19
19.	1055- सड़क परिवहन	151.43	151.43	100.00
20.	1056- अंतर्मार्गीय जल परिवहन	15.17	15.17	100.00
21.	1456- नागरिक आपूर्ति	1.71	1.71	100.00
22.	1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7801.52	5195.78	66.60
कुल		62046.77	38520.91	

अनुबंध 2.3

(पैराग्राफ 2.2.2-ए के संदर्भ में)

सरकारी खाते से बाहर विनियामकों की निधियां

क्र.सं	विनियामकों/स्वायत्त निकायों का नाम	निवेश का प्रकार/पूँजीगत निधि	राशि (₹ करोड़ में)
1.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड	आधिक्य निधि/कोर्पस निधि	1672.00
2.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	आधिक्य निधि	1322.32
3.	पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण	पूँजीगत/कोर्पस निधि	17.57
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद	निर्धारित/अक्षय फंड (आवेदन फंड)	463.73
5.	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद	विशेष सावधि जमा प्राप्ति (एसटीडीआर)	114.97
6.	भारतीय भेषज परिषद	सावधि जमा प्राप्ति	29.86
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद	बैंक में एफडीआर	33.89
8.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद	निर्धारित/अक्षय फंड (आवेदन फंड)	3.29
9.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद	लोक जमा खाता	17.12
10.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	सावधि जमा/टीडीएस (परीक्षा फंड)	14.96
11.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण	अपने संसाधनों से निवेश	122.63
12.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	बैंक में एफडीआर सामान्य	1086.00
13.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	बचत बैंक खाता	1151.59
14.	भारतीय पुनर्वास परिषद	सामान्य आरक्षित निधि	14.15
कुल			6064.08

अनुबंध 2.4

(पैराग्राफ 2.4.3 के संदर्भ में)

निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमाएं/अन्य देयताएं दर्शाती विवरणी

क्र.स.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2017 को शेष (₹ हजार में)	कब से निष्क्रिय
1.	8121.XXX-स्टाफ लाभ निधि (रेलवे)-निवेश खाता	आरक्षित कोष	100	1999-2000
2.	8121.111-आकस्मिक आरक्षित निधि - विद्युत		13,075	2006-07
3.	8223.101-अकाल सहायता निधि		3	2008-09
4.	8229.101-शिक्षा उद्देश्यों हेतु विकास निधियां		7	2002-03
5.	8229.102-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधियां		60	2002-03
6.	8229.108- खनन क्षेत्र विकास निधियां		102	2002-03
7.	8230.101-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (वाणिज्यिक)*		44,851	2008-09
8.	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां		7,586	2008-09
9.	8235.105- सामान्य बीमा निधि		26,13,201	2005-06
10.	8337.103-भारतीय रेलवे सम्मेलन एसोसिएशन कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि	जमा	6,512	2001-02
11.	8342.107-संपदा शुल्क भुगतान के प्रति जमा		131	2008-09
12.	8342.111-टैलेक्स आवेदन जमाएं		79,306	2003-04
13.	8342.114-पट्टे पर दूरसंचार सुविधा जमाएं		16,947	2001-02
14.	8342.108-आयकर, सुपर कर, अधिक लाभ, कर एवं अतिरिक्त प्रभार की जमाएं		12,161	2001-02
15.	8443.114-निर्यात व्यापार जमाएं		1,52,527	1988-89
16.	8443.127-ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेंशनरों आदि जो पाकिस्तान प्रवास कर गए हैं, के दावों के लिए स्थानीय निकायों की जमाएं		2,106	1996-97
17.	8443.130-प्रोविडेंट सोसायटीज लिक्विडेशन खाता		13	2008-09
18.	8445.102-ब्रांच लाईन कंपनियों की जमाएं		65	1992-93
19.	8448.102-निगम निधि		3	2009-10

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

20.	8448.103-छावनी निधियां		1	2000-01
21.	8448.104-भारतीय बीमा संस्था निधि		291	2009-10
22.	8448.109-पंचायत निकाय निधि		84	2008-09
23.	8448.111-चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियां		52	1988-89
24.	8448-स्थानीय निधियों की जमा 120-अन्य निधियां		226	2004-05
25.	8449.104-खनन भविष्य निधि की जमा		1,601	1988-89
26.	8449.106-इंडो-यूएस समझौता 1974 के अंतर्गत खाता		16	1991-92
27.	8449.107-आय कर, सुपर कर सहित अधिक लाभ कर एवं अधिभार जमा		13,393	1991-92
28.	8449.108-ऋण के निर्वहन के लिए स्थानीय निकायों की जमा		3,297	2000-01
29.	8449.112-नारियल विकास निधि		5869	2012-13
30.	8449.113-तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास निधि		36,613	1999-2000
31.	8449.118-जापानी अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमा		10,360	1995-96
32.	8450.101-पांडेचेरी का शेष		4,01,290	2008-09
33.	8450.102-गोवा, दमन एवं दीव का शेष		1,63,026	1988-89
34.	8450.104-अरुणाचल प्रदेश का शेष		5,68,251	1988-89
35.	8450.105-मिजोरम का शेष		12,44,138	1988-89
36.	8009.01.103-आईसीएस भविष्य निधि	अन्य	201	1999-2000
37.	8010.105-अन्य ट्रस्ट	देनदारियां	1,923	1999-2000
38.	8010.102-अवध के स्व राजा द्वारा दिया गया दान		9,104	1992-93
39.	8010.104-धर्मार्थ एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए दान		10	2008-09
40.	8012.103-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ		16,28,305	1988-89
कुल			70,36,807	

*2016-17 के दौरान पीपीए द्वारा समायोजित

अनुबंध 2.5

(पैराग्राफ 2.4.4.2 सी के संदर्भ में)

निवेश की अपूर्ण सूचना दर्शानेवाली विवरणी

क्र. सं.	विवरण सं. 11 का क्रम सं	निवेश का वर्ष	अभ्युक्ति- सूचना विवरणी सं. 11 में उपलब्ध नहीं है
1.	90	1993-94 से 1997-98	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
2.	95	2007-08	कुल भुगतान किया पूंजी में सरकारों का प्रतिशत, लाभांश की राशि।
3.	100	2013-14	शेयरों का प्रकार, शेयरों की संख्या, इसका अंकित मूल्य, और कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
4.	101	2015-16	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
5.	102	2015-16	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
6.	170	2011-12	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
7.	175	2016-17	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
8.	176	2016-17	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
9.	183	2002-03 से 2009-10	शेयरों की संख्या और इसका अंकित मूल्य
10.	184	2013-14 से 2016-17	लाभांश की राशि।
11.	185	2015-16 2016-17	कुल भुगतान किया पूंजी में सरकारों का प्रतिशत, लाभांश की राशि।
12.	238	1976-77 से 1978-79	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
13.	239	1979-80	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
14.	240	1976-77 से 1977-78	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
15.	241	1975-76 से 1977-78	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
16.	242	1976-77 से 1977-78	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
17.	269	1977-78	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता, लाभांश, लाभांश की राशि।
18.	272	1978-79	शेयरों की संख्या, इसका अंकित मूल्य।
19.	275	1971-72	कुल भुगतान किया पूंजी में सरकारों के निवेश का

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

			प्रतिशत।
20.	297	2014-15 तक 2015-16	कुल भुगतान किया पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
21.	298	2015-16 तक 2016-17	कुल भुगतान किया पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता लाभांश की राशि।
22.	302	2015-16 2016-17	अंकित मूल्य, कुल भुगतान किये गए पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता, लाभांश की राशि।
23.	303	2015-16 2016-17	अंकित मूल्य कुल भुगतान किये गए पूंजी में सरकारों के निवेश का प्रतिशत, लाभांश की राशि।
24.	306	2015-16 2016-17	शेयर का प्रकार, शेयरों की संख्या, इसका अंकित मूल्य।
25.	307	2015-16	शेयर का प्रकार, शेयरों की संख्या, इसका अंकित मूल्य, लाभांश की राशि।
26.	313	1969-70 से 2016-17	कुल भुगतान किये गए पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता।
27.	316	1984-85 से 1999-00 2000-01	कुल भुगतान किये गए पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता, लाभांश की राशि।
28.	317	1975-76 से 2015-16, 2016-17	अंकित मूल्य, शेयरों की संख्या, भुगतान किये गए पूंजी में सरकारों के निवेश की प्रतिशतता, लाभांश की राशि।

अनुबंध 2.6

(पैराग्राफ 2.4.4.4 बी के संदर्भ में)

सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम के अधिक-भुगतान दिखा रहा वक्तव्य

(₹ हजार में)

क्र.सं.	शीर्ष	अंत शेष
1	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे. 1296
2	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
	7610-201-एचबीए	क्रे. 931
	7610-203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे. 185
	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे. 1022
3	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
	7610-203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे. 366
	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे. 1264
4	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	
	7610-201- एचबीए	क्रे. 4020
	7610-202-मोटरसाइकल खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे. 514
	7610-203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे. 1
	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे. 441
	7610-800- अन्य अग्रिम	क्रे. 3
5	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	
	7610-201-एचबीए	क्रे. 692
	7610-202-- मोटर साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे. 321
6	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
	7610-201- एचबीए	क्रे. 23898
	7610-202-- मोटर साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे. 32665
	7610-203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे. 2027
	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे. 9117
7	कृषि मंत्रालय	
	7610-800- अन्य अग्रिम	क्रे. 249
8	अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय	
	7610-201- एचबीए	क्रे. 1689
	7610-202-- मोटर साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे. 857
	7610-203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे. 178

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

	7610-204- कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे.	396
	7610-800- अन्य अग्रिम	क्रे.	1
9	रक्षा मंत्रालय		
	7610.00.203- अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	क्रे.	1800

अनुबंध 2.7

(पैराग्राफ 2.4.4.4- जी के संदर्भ में)

(क) अन्य ऋणी ईकाईयों या संस्थानों के प्रति 20 वर्षों से अधिक के लिए बकाया मूलधन एवं ब्याज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ईकाई का नाम	पूर्व की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2017 को बकाया की राशि	
			मूलधन	ब्याज
1.	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम (आईसीआईसीआई) लिमि., मुम्बई	1987-88	46.05	67.13
2.	पायराइट्स, फॉस्फेट तथा केमिकल्स लिमि., नई दिल्ली	1988-89	184.35	489.92
3.	हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमि., नई दिल्ली	1981-82	1913.94	648.83
4.	भारतीय उर्वरक निगम, नई दिल्ली	1984-85	2738.39	1293.16
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमि.	1987-88	404.36	529.72
6.	ब्रिटिश भारत निगम, कानपुर	1984-85	437.77	1251.34
7.	एल्गिन मिल्स कंपनी, कानपुर	1984-85	343.29	2447.20
8.	बर्डस जूट एवं एक्सपोर्ट लिमि., कोलकाता	1988-89	20.72	87.67
9.	इलेक्ट्रॉनिक व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमि, दिल्ली	1987-88	22.01	53.55
10.	भारतीय ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमि., गुडगांव	1980-81	1208.82	3926.48
11.	स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमि., कोलकाता	1980-81	68.45	191.50
12.	बंगाल प्रतिरक्षा कंपनी लिमि., कोलकाता	1982-83	135.98	453.24
13.	हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता	1984-85	233.65	248.29
14.	भारत भारी उद्योग लिमि., कोलकाता	1988-89	46.44	514.14
15.	भारत ऑप्टिकल ग्लास लिमि., दुर्गापुर	1983-84	66.68	247.72
16.	राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमि., नेपालगर	1985-86	113.59	67.91

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

17.	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लिमि., कोलकाता	1982-83	70.67	613.95
18.	भारतीय साईकिल निगम लिमि., कोलकाता	1981-82	201.30	603.90
19.	भारतीय चर्मशोधन एवं फुटवियर निगम, कानपुर	1979-80	156.43	656.21
20.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस एमएफजी. क. लिमि.	1992-93	511.11	1441.55
21.	पुनर्वास उद्योग निगम लिमि., कोलकाता	1985-86	163.47	800.01
22.	खनन एवं सहायक मशीनरी निगम लिमि., दुर्गापुर	1986-87	560.12	2309.58
23.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमि.	1981-82	210.95	1401.97
24.	भारत स्वर्ण खनन लिमि., कर्नाटक	1977-78	219.29	870.01
25.	मेसर्स कुमारधुबी फायरक्ले एंड सिलिका वर्कस लिमि.	1988-89	10.69	15.68
26.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	1989-90	77.71	311.39
27.	कोचीन पत्तन न्यास, कोची	1982-83	226.27	1031.36
28.	पारादीप पत्तन न्यास	1986-87	374.54	1355.45
29.	राज्य विद्युत बोर्ड	1990-91	101.19	256.86
30.	राजीव गांधी कैंसर संस्थान	1994-95	13.07	0.00
कुल			10881.30	24185.72

(ख) राज्य सरकारों के प्रति ऋणों के बकाया मूलधन एवं ब्याज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/यूटी सरकार के नाम	पूर्व की अवधि जिससे बकाया संबंधित हैं	31 मार्च 2017 को बकाया की राशि	
			मूलधन	ब्याज
1.	असम	1984-85	129.45	952.05
2.	गोवा	1987-88	83.01	232.95
3.	जम्मू एवं कश्मीर	1984-85	40.02	103.99
4.	मिजोरम	1988-89	15.26	36.35
5.	पुदुचेरी	1984-85	153.42	29.31
कुल			421.16	1354.65

अनुबंध 2.8

(पैराग्राफ 2.5.1 डी के संदर्भ में)

विदेशों में खरीद इत्यादि के लिए उचंत खाता की बकाया राशि (2007 तक)

(₹ हजार में)

क्र.सं.	आयातक का नाम	मामलों की सं.	राशि
1.	सड़क और भवन विभाग, गुजरात	1	1104
2.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड	1	4326
3.	रेल मंत्रालय	2	8399
4.	पाइरेट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	2	249513
5.	रेल कोच फैक्टरी (कपूरथला)	1	1895
6.	रेलवे बोर्ड	1	13138
7.	रेल कोयला स्प्रिंग	1	7111
8.	दूरसंचार विभाग	6	14737
9.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1	39
10.	भारतीय किसान फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड	3	14257
11.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	1	2255
12.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3	3952
13.	सड़क परिवहन और राजमार्ग-तकनीकी मंत्रालय	3	15292
14.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	48297
15.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1	3648
16.	दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाय अंडरटेकिंग, दिल्ली	1	78009
17.	भिलाई स्टील प्लांट	1	1200
18.	कोल इंडिया लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	3	231832
19.	सीएमएएल- डीएल	1	348
20.	झांजरा भिलाई स्टील प्लांट	1	906
21.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	2	59427
22.	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, ए.पी.	1	47476
23.	कृभको वर्षा खेती और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	1	7079
24.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग	1	4560
25.	प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	1	1132
26.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	1	1511
27.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2	-849
28.	एमओईएफ, पश्चिम बंगाल	1	3973
29.	वित्त मंत्रालय	3	13662
30.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1	79249

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

31.	पर्यटन मंत्रालय	1	54474
32.	कोयला मंत्रालय	1	57
33.	पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं जैव मंत्रालय	1	50
34.	शहरी विकास मंत्रालय	1	86676
35.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान	1	44
36.	महिला एवं बाल विकास विभाग- केंद्रीय	1	1538
37.	भारत सरकार	1	481
38.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1	-12105
	कुल	57	1048693

अनुबंध 2.9

(पैराग्राफ 2.5.2 के संदर्भ में)

ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)	31.03.2017 को शेष (₹ हजार में)	अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हो गए
विवरणी सं. -13			
1.	8115.00.101	मूल्यहास आरक्षित निधियां - रेलवे (वाणिज्यिक लाईन)	डे. 21320212 2009-10
2.	8118.00.106	रेलवे पूंजीगत निधि	डे. 624830 2016-17
3.	8121.00.103	रेलवे पेंशन निधि-वाणिज्यिक लाइन	डे. 23291755 2016-17
4.	8229.00.200	अन्य विकास तथा कल्याण निधि	डे. 2109756 2007-08
5.	8235.00.118	सार्वभौम सेवा दायित्व निधि	डे. 12429 2016-17
6.	8235.00.135	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	डे. 1593805 2015-16
7.	8337.00.104	गैर- अंशदायी आईआरसीएई 'पीएफ-निवेश खाता	क्रे. 40637 2014-15
8.	8443.00.121	चुनाव से संबंधित जमा	डे. 1489 2015-16
9.	8445.00.104	रेलवे जमा- न्यास ब्याज खाता	डे. 198265 2005-06
10.	8445.00.800	रेलवे जमा- अन्य जमा	डे. 32729886 2005-06
11.	8446.00.102	अन्य डाक जमा	डे. 1477795 2014-15
12.	8446.00.800	डाक जमा- अन्य जमा	डे. 136439 2005-06
13.	8448.00.102	स्थानीय निधियों की जमा- म्यूनिसिपल जमा	डे. 3 2007-08
14.	8448.00.104	स्थानीय निधियों की जमा- भारतीय बीमा एसोसिएशन की निधियां	डे. 291 1976-77 से पूर्व
15.	8451.00.101	भोपाल गैस रिसाव विपदा राहत निधि - दावे तथा राहत निधियां	डे. 9371639 2005-06
16.	8451.00.102	भोपाल गैस रिसाव विपदा राहत निधि - दावे तथा राहत निधि निवेश खाता	क्रे. 9279983 2005-06
17.	8551.00.101	रक्षा अग्रिम	क्रे. 17469352 2015-16
18.	8670.00.104	कोष चेक	डे. 647 2015-16
विवरणी सं.-14			
19.	6002.00. 207	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ऋण	डे. 1113248 2000-01
20.	6002.00. 223	स्विस परिसंघ और स्विस बैंक सरकार से ऋण	डे. 261978 2010-11

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2017 को शेष (₹ हजार में)		अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हो गए
21.	6002.00.226	अंतर्राष्ट्रीय विकास यूएसए के लिए एजेंसी ऋण	डे.	10222571	1995-96
22.	6002.00.227	पीएल -480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिट के तहत अमेरिका सरकार से ऋण	डे.	699197	1995-96
23.	6002.00.504	आईबीआरडी से ऋण के समायोजन किये जाने वाले ऋण	डे.	6137437	2016-17
24.	6002.00.507	ऋण (जीओजेपी), जापान से समायोजन किये जाने वाले ऋण	डे.	585177	2016-17
25.	8012.00.109	आय कर वार्षिक जमा	डे.	13983	2015-16
26.	8014.01.107	पीएलआई चिल्ड्रेन पॉलिसी योजना	डे.	10373	2014-15
27.	8014.02.105	आरपीएलआई प्रत्याशित अक्षय निधि आश्वासन योजनाएं	डे.	178349	2015-16
विवरणी सं.-14 क					
28.	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जारी प्रतिभूतियां	डे.	404339	2010-11
29.	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को जारी प्रतिभूतियां	डे.	215439	2002-03
विवरणी सं. - 15					
30.	6216.80.800	अन्य ऋण	क्रे.	12099	2010-11
31.	6225-01-800	अन्य ऋण	क्रे.	829	1994-95
32.	6245.01.101	निःशुल्क राहत	क्रे.	896	1986-87
33.	6245.02.101	निःशुल्क राहत	क्रे.	2157	1997-98
34.	6402.00.102	मृदा संरक्षण	क्रे.	7818	1995-96
35.	6402.00.203	भूमि सुधार एवं विकास	क्रे.	592	2007-08
36.	6405.00.106	मत्स्य पालन हस्तकला के मशीनीकरण	क्रे.	532	2016-17
37.	6425.00.108	अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रे.	883507	2003-04
38.	6515.00.102	सामुदायिक विकास	क्रे.	178	1986-87
39.	6801.00.201	पनबिजली उत्पादन	क्रे.	880938	2004-05
40.	6801.00.205	संचारण एवं वितरण	क्रे.	1391767	2005-06
41.	6851.00.102	लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	10958	2006-07
42.	6853.60.190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रे.	86208	2014-15

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2017 को शेष (₹ हजार में)		अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हो गए
43.	7053.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रे.	377537	2010-11
44.	7465.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के लिए ऋण	क्रे.	11822976	2016-17
45.	7601.01.436	फसल कृषि व्यवस्था -वाणिज्यिक फसलें	क्रे.	1	2012-13
46.	7601.03.413	अन्य सहकारी समितियों को सहकारी ऋण	क्रे.	4189	2012-13
47.	7601.03.501	मृदा एवं जल संरक्षण - मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रे.	2185	2012-13
48.	7601.03.576	पशु पालन - मवेशी एवं भैंस विकास	क्रे.	11	2012-13
49.	7601.03.601	डेयरी विकास	क्रे.	29	2012-13
50.	7601.03.727	ग्राम एवं लघु उद्योग - लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	139	2012-13
51.	7601.03.786	बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋण	क्रे.	71707	2012-13
52.	7601.03.787	समुद्र कटाव रोकने की परियोजनाएं - अन्य ऋण	क्रे.	1239	2012-13
53.	7601.04.267	जल आपूर्ति - अन्य ऋण	क्रे.	149604	2012-13
54.	7601.04.312	शहरी विकास - लघु/मध्यम शहरों का समेकित विकास	क्रे.	191427	2012-13
55.	7601.04.360	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य ऋण	क्रे.	408	2012-13
56.	7601.04.411	सहकारिता क्रेडिट सहकारी समितियां	क्रे.	32687	2012-13
57.	7601.04.413	अन्य सहकारी समितियां	क्रे.	1473	2012-13
58.	7601.04.436	फसल कृषि व्यवस्था -वाणिज्यिक फसलें	क्रे.	135028	2012-13
59.	7601.04.443	फसल कृषि व्यवस्था - अन्य ऋण	क्रे.	338837	2012-13
60.	7601.04.501	मृदा एवं जल संरक्षण - मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रे.	99004	2012-13
61.	7601.04.579	पशु पालन - भेड़ एवं ऊन विकास	क्रे.	175	2012-13
62.	7601.04.601	डेयरी विकास	क्रे.	36	2012-13
63.	7601.04.726	ग्राम एवं लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग	क्रे.	6960	2012-13
64.	7601.04.727	ग्राम एवं लघु उद्योगों - लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	853	2012-13
65.	7601.04.729	ग्राम एवं लघु उद्योग - क्वायर उद्योग	क्रे.	354	2012-13

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2017 को शेष (₹ हजार में)		अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हो गए
66.	7601.04.747	ग्राम एवं लघु उद्योग - अन्य ग्रामीण उद्योग	क्रे.	1088	2012-13
67.	7601.04.786	बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋण	क्रे.	4730	2012-13
68.	7601.04.825	अंतर्राज्यीय सड़कें या आर्थिक महत्व-सड़क निर्माण कार्य	क्रे.	18359	2012-13
69.	7601.04.826	अंतर्राज्यीय सड़कें या आर्थिक महत्व - यंत्र एवं उपकरण	क्रे.	106	2012-13
70.	7601.04.871	अंतर्देशीय जल परिवहन - अन्य ऋण	क्रे.	897	2012-13
71.	7601.07.800	अन्य ऋण	क्रे.	1580	2012-13
72.	7602.04.412	सहकारी उपभोक्ता सहकारी समितियां	क्रे.	593	2012-13
73.	7610.00.203	अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे.	392707	2004-05
विवरणी सं.-16					
74.	8002.00.103	कोषागार बचत जमा प्रमाणपत्र	डे.	6962	1976-77
75.	8002.00.105	बचत प्रमाणपत्र- बैंक सीरीज	डे.	189	2007-08

अनुबंध 2.10

(पैराग्राफ 2.6 के संदर्भ में)

बकाया में पड़े प्रोफार्मा लेखे

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयार लेखे की अवधि
कृषि मंत्रालय		
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2016-17
2.	बर्फ सह शीतलन संयंत्र, कोची	2009-10
परमाणु ऊर्जा विभाग		
3.	नाभिकीय ईंधन परिसर, हैदराबाद	2014-15
4.	भारी जल संयंत्र, मुम्बई	2015-16
रक्षा मंत्रालय		
5.	जलपान गृह भंडार विभाग	2013-14
वित्त मंत्रालय		
6.	राजकीय अल्कलॉयड कार्य, नीमच	2015-16
7.	राजकीय अल्कलॉयड कार्य, गाजीपुर	2015-16
8.	राजकीय अफीम कारखाना, गाजीपुर	2015-16
9.	राजकीय अफीम कारखाना, नीमच	2015-16
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2006-07
11.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान शाकीय सब्जी उद्यान, कांके, राँची	2011-12
12.	एचएलएल जीवन रक्षा लिमिटेड	2014-15
13.	एचएससीसी (इण्डिया) लिमिटेड	2014-15
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
14.	फिल्म प्रभाग, मुम्बई	2009-10
15.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2013-14
विद्युत मंत्रालय		
16.	विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2014-15
17.	विद्युत विभाग लक्षद्वीप	2014-15
पोत परिवहन मंत्रालय		
18.	प्रकाश गृह एवं प्रकाश पोत निदेशालय, नोएडा	2011-12
19.	अण्डमान फेरी सेवा	2004-05
20.	पोत परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2013-14
21.	समुद्री विभाग (गोदी), अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2003-04
22.	बंदरगाह व्यवस्थापक बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1990-91
23.	कामराज पोत लिमिटेड	2016-17

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयार लेखे की अवधि
24.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2016-17
25.	भारतीय नौवहन निगम	2016-17
26.	भारतीय तलकषण निगम	2016-17
27.	हुगली डॉक पोर्ट इंजीनियर लिमिटेड	2016-17
28.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम	2016-17
29.	सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड	2016-17
30.	भारतीय बंदरगाह एवं रेल कंपनी लिमिटेड	2016-17
31.	सेतुसमुद्रम प्राधिकरण लिमिटेड (एससीएल)	2016-17
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
32.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	2011-12
33.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2014-15
शहरी विकास मंत्रालय		
34.	राजकीय प्रेस, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2014-15
35.	भारत सरकार प्रेस, मिण्टो रोड, नई दिल्ली	2015-16
36.	भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड नई दिल्ली	2015-16
37.	भारत सरकार प्रेस, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	2015-16
38.	भारत सरकार प्रेस, निलोखेरी	2015-16
39.	भारत सरकार प्रेस, फरीदाबाद	2016-17
40.	भारत सरकार प्रेस, शिमला	2016-17
41.	भारत सरकार प्रेस, कोयम्बटूर	2015-16
42.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, भुवनेश्वर	2012-13
43.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, मैसूर	2014-15
44.	भारत सरकार प्रेस, कोलकाता	2015-16
45.	भारत सरकार प्रेस, कोराटी	2015-16
46.	भारत सरकार प्रेस, नासिक	2015-16
47.	भारत सरकार प्रेस, अलीगढ़	2015-16
48.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, चण्डीगढ़	2015-16
49.	भारत सरकार प्रेस, गंगटोक	2007-08
50.	भारत सरकार प्रेस, संत्रागाछी, हावड़ा	2014-15
51.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	2016-17
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
52.	ईसीजीसी लिमिटेड	2015-16
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय		
53.	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	2016-17
54.	हुडको	2015-16
कपड़ा मंत्रालय		

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयार लेखे की अवधि
55	भारतीय जूट निगम लिमिटेड	2015-16
56	बीजीईएल	2015-16
57	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	2015-16
पर्यटन मंत्रालय		
58	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16
59	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
60	डोनी पोलो अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
61	मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
62	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
63	पंजाब अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
64	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
65	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16
66	कुमारकृप फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	2014-15
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
67	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2015-16
68	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान	2015-16
69	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड - केएपीएल	2015-16
70	बीवीएफसीएल	2016-17
71	एफएसीटी	2016-17
72	एफएजीएमआईएल	2016-17
73	एमएफएल	2016-17
74	एनएफएल	2016-17
75	पीडीआईएल	2016-17
76	आरसीएफ	2016-17
जनजातीय मामलों के मंत्रालय		
77	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	2016-17
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		
78	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2016-17
इस्पात मंत्रालय		
79	एनएमडीसी लिमि.	2016-17
विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय		
80	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)	2016-17
81	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनडीआरसी)	2016-17

अनुबंध 2.11

(पैराग्राफ 2.7 के संदर्भ में)

2016-17 के दौरान बड़े खाते में डाली गई/माफ की गई हानियाँ तथा गैर वसूलनीय राशियों की विवरणी

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानियाँ एवं गैर वसूलनीय को बड़े खाते में डालना				के लेखे	
	उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली से माफी	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	0	0	1	0.80	0	0
परमाणु ऊर्जा	0	0	22	8.37	0	0
लोकसभा सचिवालय	0	0	3	0.29	0	0
अंतरिक्ष	0	0	8	8.59	0	0
कृषि और किसान कल्याण	0	0	1	0.11	0	0
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	0	0	1	64.87	1	0.85
डाक	27	86.97	31	22.47	4	0.51
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन	0	0	1	0.75	0	0
राष्ट्रपति का सचिवालय	0	0	1	0.30	0	0
पर्यटन	0	0	2	57.27	0	0
कुल	27	86.97	71	163.82	5	1.36

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

अनुबंध 3.1
(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)
प्राधिकरण तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य (+)
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	1156848.95	103328.62	1260177.57	1136498.44	(-) 123679.13
II. पूंजी (ऋण एवं अग्रिम सहित)	166677.26	95042.72	261719.98	207389.86	(-) 54330.12
योग	1323526.21	198371.34	1521897.55	1343888.30	(-) 178009.25
प्रभारित					
III. राजस्व	613235.86	1463.20	614699.06	605198.10	(-) 9500.96
IV. पूंजी (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	4419247.14	1091355.30	5510602.44	5697040.31	(+) 186437.87
योग	5032483.00	1092818.50	6125301.50	6302238.41	(+) 176936.91
कुल योग	6356009.21	1291189.84	7647199.05	7646126.71	(-) 1072.34
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			263427.50	190256.59	
कुल निवल प्रावधान			7383771.55		
कुल निवल संवितरण				7455870.12	

ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	23122.00	150.41	23272.41	24208.89	(+) 936.48
II. पूंजी	406.26	150.01	556.27	504.45	(-) 51.82
योग	23528.26	300.42	23828.68	24713.34	(+) 884.66
प्रभारित					
III. राजस्व	0.60	3.08	3.68	2.96	(-) 0.72
IV. पूंजी	--	--	--	--	--
योग	0.60	3.08	3.68	2.96	(-) 0.72

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

कुल योग	23528.86	303.50	23832.36	24716.30	(+) 883.94
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			757.41	730.90	
कुल निवल प्रावधान			23074.95		
कुल निवल संवितरण				23985.40	

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)
ग - रक्षा सेवाएं					
दत्तमत					
I. राजस्व	148407.14	6551.91	154959.05	152135.28	(-) 2823.77
II. पूंजी	78499.55	0.01	78499.56	78604.11	(+) 104.55
योग	226906.69	6551.92	233458.61	230739.39	(-) 2719.22
प्रभारित					
III. राजस्व	91.71	--	91.71	62.00	(-) 29.71
IV. पूंजी	87.12	2.46	89.58	131.34	(+) 41.76
योग	178.83	2.46	181.29	193.34	(+) 12.05
कुल योग	227085.52	6554.38	233639.90	230932.73	(-) 2707.17
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			48.60	77.87	
कुल निवल प्रावधान			233591.30		
कुल निवल संवितरण				230854.86	

घ - रेलवे					
दत्तमत	357121.56	4569.45	361691.01	323848.66	(-)37842.35
प्रभारित	211.34	207.75	419.09	407.23	(-)11.86
कुल	357332.90	4777.20	362110.10	324255.89	(-)37854.21
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			123062.26	113641.76	
कुल निवल प्रावधान			239047.84		
कुल निवल संवितरण				210614.13	

योग						
कुल	दत्तमत	1931082.72	209793.13	2140875.85	1923189.69	(-)217686.16
सीएफआई	प्रभारित	5032873.77	1093031.79	6125905.56	6302841.94	(+)176936.38
कुल योग सीएफआई		6963956.49	1302824.92	8266781.41	8226031.63	(-)40749.78
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां			387295.76	304707.12		

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

विनियोग लेखे (सीएफआई) के अनुसार कुल व्यय एवं प्रावधान		7879485.65	7921324.51	
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता			0.02*	
वित्त लेखे के अनुसार सीएफआई से कुल संवितरण			7921324.53	

टिप्पणी:

- अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण के लिए यह अनुदान कहलाता है।
- सीएफआई: भारत की संचित निधि
- सिविल, डाक, रक्षा और रेलवे अनुदान / विनियोग के विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़ों के पूर्णांक करने के कारण

अनुबंध 3.2

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)
अनुदानों/विनियोगों में निवल बचत

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत(-) निवल आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	125878.69	54330.12	2199.56	--	(-)123679.13	(-) 54330.12
अनुदानों की संख्या	88	63	1	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	9501.24	516.55	0.28	186954.42	(-)9500.96	(+)186437.87
विनियोगों की संख्या	32	11	1	1	--	--
ख - डाक						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	--	51.82	936.48	--	(+)936.48	(-)51.82
अनुदानों की संख्या	--	1	1	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	0.72	--	--	--	(-)0.72	--
विनियोगों की संख्या	1	--	--	--	--	--
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	2823.77	--	--	104.55	(-)2823.77	(+)104.55
अनुदानों की संख्या	1	--	--	1	--	1
प्रभारित (₹ करोड़ में)	29.71	--	--	41.76	(-)29.71	(+)41.76
विनियोगों की संख्या	1	--	--	1	--	--
घ - रेलवे						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	31905.41	5959.36	--	22.42	(-) 31905.41	(-) 5936.94
अनुदानों की संख्या	15	1	--	1	--	--

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत(-) निवल आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
संख्या						
प्रभारित (₹ करोड़ में)	22.57	--	0.08	10.63	(-) 22.49	(+) 10.63
विनियोगों की संख्या	9	--	2	1		

अनुबंध 3.3

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत प्राधिकरण एवं संवितरणों
का वर्ष-वार समानुपात

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्राधिकरण			संवितरण				
		दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित	योग	निम्न की प्रतिशतता	
								दत्तमत	प्रभारित
1.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
2.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
3.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
4.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
5.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
6.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
7.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
8.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
9.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
10.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81
11.	2010-11	986064	3697775	4683839	918675	3104657	4023332	23	77
12.	2011-12	1060295	3875262	4935557	921280	3840960	4762240	19	81
13.	2012-13	1155063	4190305	5345368	977071	3816395	4793466	20	80
14.	2013-14	1222190	4493627	5715817	1014393	3975665	4990058	20	80
15.	2014-15	1228732	4596843	5825575	1078524	4211160	5289684	20	80
16.	2015-16	1312608	4816016	6128624	1232487	4296986	5529473	22	78
17.	2016-17	1521898	6125301	7647199	1343888	6302239	7646127	18	82

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

अनुबंध 3.4

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल				
7 -उर्वरक मंत्रालय				
1.	2852.03.101.06 - यूरिया सब्सिडी	ओ एस आर	51000.00 0.01 (-)0.01	51256.59 256.59
14 - दूरसंचार विभाग				
2.	2071.01.101.01 - साधारण पेंशन	ओ एस आर	5300.00 208.58 (+)214.84	5908.74 185.32
3.	2071.01.105.02-परिवार पेंशन	ओ एस आर	961.92 103.70 (+)39.38	1194.59 89.59
20 - रक्षा मंत्रालय (विविध)				
4.	2076.00.107.01 -सिविल	ओ एस आर	2363.54 348.02 (+)184.95	2905.83 9.32
5.	2079.00.800.01 - आयुध (आयुध उपकरण सहित) कारखाने	ओ एस आर	1104.18 0.01 (-)50.19	1064.42 10.42
6.	2080.00.800.01 -विविध	ओ एस आर	267.22 3.86 (+)1.80	284.46 11.58
7.	3054.02.337.05 - सीमा सड़क संगठन द्वारा एनएच का रखरखाव	ओ	144.46	150.25 5.79
8.	4076.01.112.01 -सिविल	ओ आर	101.49 (-)1.49	116.53 16.53
9.	4076.04.111.01 - आयुध (कारखानों के आयुध उपकरण समूह सहित)	ओ आर	227.67 (+)80.00	337.61 29.94
10.	5054.02.337.03 - सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत कार्य	ओ एस आर	2299.00 0.01 (+)265.52	2641.35 76.82
21 - रक्षा पेंशन				
11.	2071.02.101.01 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	ओ एस आर	72000.82 1564.28 (+)178.26	75649.65 1906.29

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

12.	2071.02.101.03- अवकाश नकदीकरण	ओ एस आर	2040.04 75.45 (-)156.29	2006.79	47.59
13.	2071.02.102.01- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	ओ एस आर	2965.28 316.24 (+)1.51	3361.42	78.39
14.	2071.02.102.03- अवकाश नकदीकरण	ओ आर	206.93 (-)1.51	213.89	8.47
15.	2071.02.103.01- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	ओ एस आर	4757.78 1156.00 (+)35.26	6149.50	200.46
28 - विदेश मंत्रालय					
16.	2061.00.103.01- विवेकाधीन व्यय	ओ	1870.00	1935.80	65.80
17.	2061.00.800.08- हज पर व्यय	ओ	6.00	12.13	6.13
18.	3605.00.101.09- बंगलादेश को सहायता	ओ आर	150.00 (-)75.00	82.59	7.59
19.	3605.00.101.11 - नेपाल को सहायता	ओ एस आर	300.00 0.0025 (+)20.00	332.71	12.71
20.	4059.60.051.17 - विदेशी मामले	ओ	200.00	224.52	24.52
21.	4216.01.700.18 - विदेशी मामले	ओ	100.00	107.03	7.03
33 -विनियोग-ब्याज भुगतान					
22.	6001.00.103.01 -91 दिवसीय राजकोष	ओ आर	753570.43 (-)72696.05	690582.14	9707.76
23.	6001.00.115 -14 दिवसीय राजकोष	ओ एस आर	2438988.00 44599.54 (+)519142.46	3180675.97	177945.97
35 - पेंशन					
24.	2071.01.102.01- साधारण पेंशन	ओ आर	1938.09 (+)228.50	2586.44	419.85
25.	2071.01.104.01- साधारण पेंशन	ओ	2897.71	3077.84	180.13
26.	2071.01.115.01- साधारण पेंशन	ओ आर	1675.68 (+)24.00	1738.27	38.59
27.	2071.01.117.01 - सरकारी अंशदान	ओ आर	2900.32 (+)139.50	3107.78	67.96
39 - अप्रत्यक्ष कर					
28.	2038.00.101.01 - आयुक्तालय	ओ एस आर	2901.02 245.00 (+)114.42	3274.16	13.72
42 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
29.	2211.00.001.05 - एनआरएचएम-आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल	ओ आर	1350.00 (-)82.82	1272.19	5.01

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

44 - भारी उद्योग विभाग					
30.	4858.60.190.13 -हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड में निवेश	एस	663.59	1063.59	400.00
48 - पुलिस					
31.	2055.00.001.06 - आसूचना ब्यूरो	ओ एस आर	1390.15 28.00 (+)81.49	1595.17	95.53
32.	2055.00.105.01 - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय	ओ एस आर	14475.33 250.73 (+)10.05	14745.20	9.09
33.	4055.00.213.01 - कार्यालय भवन	ओ आर	193.08 (+)84.71	283.12	5.33
34.	4055.00.213.03 - बॉर्डर आउट पोस्ट	ओ	136.86	144.89	8.03
95 - शहरी विकास मंत्रालय					
35.	2059.80.001.01 - दिशा	ओ	198.72	203.96	5.24
36.	2059.80.001.02 - निष्पादन	ओ आर	602.41 (+)15.49	623.77	5.87
रक्षा					
22 -रक्षा सेवाएं (राजस्व)					
37.	2076.00.110-भण्डार	ओ आर	17726.17 (+)666.73	18698.51	305.61
38.	2077.00.800-अन्य खर्च	ओ एस आर	582.00 0.58 (+)25.00	656.93	49.35
39.	2078.00.110-भण्डार	ओ एस आर	7334.05 895.02 (-)48.47	8371.24	190.64
23 - रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत व्यय					
40.	4076.01.050 -भूमि	ओ आर	10.00 (+)10.00	39.23	19.23
41.	4076.01.050 -भूमि	ओ आर	290.00 (-)100.00	216.14	26.14
42.	4076.01.101-एयर क्राफ्ट एवं एयरो-इंजन	ओ आर	1565.94 (-)371.10	1437.07	242.23
43.	4076.01.103-अन्य उपकरण	ओ आर	16173.35 (-)704.85	17822.91	2354.41
44.	4076.01.106- रोलिंग स्टॉक	ओ आर	282.76 (-)30.90	450.47	198.61
45.	4076.02.050-भूमि	ओ	35.00	67.98	32.98
46.	4076.02.050-भूमि	ओ आर	5.00 (-)4.37	59.85	59.22

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

47.	4076.02.101-एयर क्राफ्ट एवं एयरो-इंजन	ओ आर	3805.00 (-845.00)	2974.06	14.06
48.	4076.02.103-अन्य उपकरण	ओ एस आर	2600.00 0.0006 (+)653.69	3358.33	104.64
49.	4076.02.104-संयुक्त स्टाफ	ओ एस आर	958.59 0.0006 (-)177.43	799.60	18.44
50.	4076.02.202-निर्माण कार्य	ओ आर	635.45 (-)35.65	648.83	49.03
51.	4076.02.204-नौसेना बेड़ा	ओ आर	12467.00 (-)2650.00	9877.71	60.71
52.	4076.02.205-नौसेना डॉकहार्ड	ओ एस आर	1456.77 0.0007 (+)645.23	2165.07	63.07
53.	4076.03.101-एयर क्राफ्ट एवं एयरो-इंजन	ओ एस आर	17833.45 0.0025 (+)1087.62	19480.89	559.82
54.	4076.03.102-भारी और मध्यम वाहन	ओ आर	127.35 (-)0.08	132.98	5.71
55.	4076.03.103-अन्य उपकरण	ओ आर	9595.22 (-)1777.51	8612.38	794.67
56.	4076.03.202-निर्माण कार्य	ओ आर	1869.77 (-)58.90	1829.43	18.56
योग				197132.09	

ओ - वास्तविक; एस - अनुपूरक; आर - पुनर्वियोजन

अनुबंध 3.5

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक¹ की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
सिविल				
राजस्व (दत्तमत)				
1.	1-कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	48779.38	8184.27	17
2.	2 -कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	6620.04	624.83	09
3.	3 -पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग	2495.52	127.22	05
4.	4 -परमाणु ऊर्जा	12949.20	130.60	01
5.	7 -उर्वरक विभाग	74138.36	4008.17	05
6.	9 -नागर विमानन मंत्रालय	810.54	114.03	14
7.	12 -औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	3028.11	1034.56	34
8.	17 -खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	142394.34	26385.95	19
9.	19 -संस्कृति मंत्रालय	2430.07	169.12	07
10.	20 -रक्षा मंत्रालय (विविध)	61014.17	2970.99	05
11.	26 -पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1500.40	110.85	07
12.	27 -पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3463.03	143.65	04
13.	28 -विदेश मंत्रालय	12279.66	1120.16	09
14.	29 - आर्थिक कार्य विभाग	18304.67	11583.35	63
15.	30 - वित्तीय सेवाएं विभाग	4135.56	1240.22	30
16.	32 -राज्य को अन्तरण	32901.00	611.63	02
17.	37 -राजस्व विभाग	11914.02	889.90	07
18.	42 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का विभाग	41713.05	3853.40	09
19.	46 -गृह मंत्रालय	4839.59	326.54	07
20.	50 - आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	5411.05	190.06	04
21.	51 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	64168.78	1532.09	02
22.	52 - उच्चतर शिक्षा विभाग	29714.43	678.07	02
23.	53 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4113.42	179.57	04
24.	54 -श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	6432.86	1122.08	17

¹ बचतों में आर्थिक उपाय के भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा लागू अनिवार्य कटौतियां भी शामिल हैं।

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक¹ की बचतों को
दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
25.	56 - विधि एवं न्याय	5012.01	1403.47	28
26.	58 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	5152.16	1510.51	29
27.	60 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3687.28	778.13	21
28.	61 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	9882.81	2239.29	23
29.	64 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1321.94	175.78	13
30.	66 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	29239.78	1459.49	05
31.	68 - विद्युत मंत्रालय	11879.34	3972.22	33
32.	74 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	54900.44	36014.93	66
33.	75 - ग्रामीण विकास विभाग	157443.03	1155.32	01
34.	77 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4481.86	168.77	04
35.	80 - पोतपरिवहन मंत्रालय	1509.24	144.42	10
36.	81 - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	2139.30	595.20	28
37.	85 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4731.84	483.68	10
38.	87 - वस्त्र मंत्रालय	6595.66	548.05	08
39.	93 - दमन एवं दीव	1387.52	232.55	17
40.	94 - लक्षद्वीप	1089.38	200.99	18
41.	95 - शहरी विकास मंत्रालय	18123.72	2728.23	15
42.	96 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	8381.61	2083.74	25
43.	97 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	18295.37	1227.76	07
44.	98 - युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	1756.87	195.37	11
राजस्व (प्रभारित)				
45.	31 - विनियोग- ब्याज भुगतान	508782.30	4267.76	01
46.	32 - राज्यों को अन्तरण	100646.36	5096.06	05
पूँजीगत (दत्तमत)				
47.	4 - परमाणु उर्जा	7154.68	1735.33	24
48.	10 - कोयला मंत्रालय	1100.00	300.08	27
49.	17 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	51151.61	27091.82	53
50.	20 - रक्षा मंत्रालय (विविध)	13027.98	301.58	02
51.	24 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	649.00	140.27	22
52.	26 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	175.00	100.34	57

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक¹ की बचतों को
दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
53.	28 - विदेश मंत्रालय	2983.00	1369.88	46
54.	29 - आर्थिक कार्य विभाग	10142.92	1772.08	17
55.	30 - वित्तीय सेवा विभाग	33206.38	5032.84	15
56.	42 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1757.90	534.07	30
57.	46 - गृह मंत्रालय	300.36	101.31	34
58.	48 - पुलिस	9878.50	1010.32	10
59.	59 - खान मंत्रालय	158.39	122.10	77
60.	68 - विद्युत मंत्रालय	5511.67	1650.44	30
61.	74 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	86679.70	10821.33	12
62.	84 - अंतरिक्ष विभाग	3887.77	300.73	08
63.	86 - इस्पात मंत्रालय	200.00	200.00	100
64.	90 - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	683.68	204.95	30
65.	95 - शहरी विकास मंत्रालय	17225.48	493.01	03
66.	96 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	427.72	300.10	70
पूँजीगत (प्रभारित)				
67.	32 - राज्यों को अन्तरण	18100.00	336.41	02
68.	86 - इस्पात मंत्रालय	110.00	110.00	100
रक्षा सेवा				
राजस्व (दत्तमत्त)				
69.	22 - रक्षा मंत्रालय (राजस्व)	154959.05	2823.77	02
रेलवे				
राजस्व (दत्तमत्त)				
70.	2 - विविध व्यय (सामान्य)	1297.89	305.78	24
71.	3 - सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	8360.53	801.23	10
72.	4 - स्थायी तरीके एवं निर्माण कार्य की मरम्मत और रखरखाव	13710.68	848.76	06
73.	5 - मौलिक शक्तियों की मरम्मत और रखरखाव	6317.60	288.90	05
74.	6 - कैरिजेज और वैगन की मरम्मत और रखरखाव	14311.32	284.30	02
75.	7 - संयंत्र और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	8111.91	740.76	09

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक¹ की बचतों को
दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
76.	8 - परिचालन व्यय- रोलिंग स्टॉक और उपकरण	12751.63	1069.81	08
77.	9 - परिचालन व्यय - यातायात	26308.01	2300.99	09
78.	11 - कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	6622.05	670.91	10
79.	12 - विविध कार्य व्यय	6818.60	788.72	12
80.	13 - भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	47169.76	4916.64	10
81.	14 - निधियों का पुनर्विनियोजन	54279.35	9066.35	17
82.	15 - सामान्य राजस्व को लाभांश - सामान्य राजस्व से लिया गया ऋण का पुनः भुगतान - विकास निधि से मिली राशि	9731.29	9731.29	100
पूँजीगत (दत्तमत्त)				
83.	16 - पूँजी	91589.80	1403.18	02
84.	16 - रेल निधि - मूल्यहास आरक्षित निधि, विकास निधि और पूँजीगत निधि	16663.06	4556.18	27
		कुल	228639.60	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

अनुबंध 3.6
(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
सिविल					
राजस्व (दत्तमत्त)					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2014-15	22603.11	3114.80	14
		2015-16	16959.47	1658.72	10
		2016-17	48779.38	8184.27	17
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2014-15	6144.44	1304.41	21
		2015-16	6320.03	747.13	12
		2016-17	6620.04	624.83	09
3.	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मत्स्य पालन विभाग	2014-15	2726.16	517.57	19
		2015-16	2120.28	256.13	12
		2016-17	2495.52	127.22	05
4.	उर्वरक विभाग	2014-15	77112.31	2020.45	03
		2015-16	77100.56	536.14	01
		2016-17	74138.36	4008.17	05
5.	संस्कृति मंत्रालय	2014-15	2443.06	397.93	16
		2015-16	2121.56	165.36	08
		2016-17	2430.07	169.12	07
6.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2014-15	1515.07	281.93	19
		2015-16	1497.59	263.52	18
		2016-17	1500.40	110.85	07
7.	विदेश मंत्रालय	2014-15	11264.37	1402.54	12
		2015-16	11248.02	150.85	01
		2016-17	12279.66	1120.16	09
8.	आर्थिक कार्य विभाग	2014-15	16157.52	885.54	05
		2015-16	17941.94	6185.08	34
		2016-17	18304.67	11583.35	63
9.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2014-15	11745.25	3834.92	33
		2015-16	15811.86	300.91	02
		2016-17	4135.56	1240.22	30

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
10.	राज्यों को अन्तरण	2014-15	70757.00	9438.73	13
		2015-16	39678.78	7550.00	19
		2016-17	32901.00	611.63	02
11.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2014-15	36481.41	6505.28	18
		2015-16	32902.39	1001.55	03
		2016-17	41713.05	3853.40	09
12.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2014-15	6008.68	3273.28	54
		2015-16	5634.56	3868.40	69
		2016-17	5411.05	190.06	04
13.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2014-15	82695.14	14615.25	18
		2015-16	69861.55	8754.13	13
		2016-17	64168.78	1532.09	02
14.	उच्चतर शिक्षा विभाग	2014-15	27656.08	4486.90	16
		2015-16	26855.37	1305.43	05
		2016-17	29714.43	678.07	02
15.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2014-15	3287.18	158.45	05
		2015-16	14802.92	210.76	01
		2016-17	4113.42	179.57	04
16.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2014-15	5783.82	1474.27	25
		2015-16	5646.15	826.98	15
		2016-17	6432.86	1122.08	17
17.	विधि एवं न्याय	2014-15	1992.88	241.96	12
		2015-16	3420.92	470.80	14
		2016-17	5012.01	1403.47	28
18.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2014-15	3693.51	932.51	25
		2015-16	3010.59	179.13	06
		2016-17	5152.16	1510.51	29

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
19.	विद्युत मंत्रालय	2014-15	8228.16	3590.65	44
		2015-16	8719.54	856.27	10
		2016-17	11879.34	3972.22	33
20.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2014-15	20103.39	1430.69	07
		2015-16	23433.94	1373.54	06
		2016-17	54900.44	36014.93	66
21.	ग्रामीण विकास विभाग	2014-15	121746.83	13116.63	11
		2015-16	129030.01	9239.37	07
		2016-17	157443.03	1155.32	01
22.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2014-15	3546.03	646.11	18
		2015-16	3844.01	199.61	05
		2016-17	4481.86	168.77	04
23.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2014-15	4905.79	840.74	17
		2015-16	4816.76	645.37	13
		2016-17	4731.84	483.68	10
24.	वस्त्र मंत्रालय	2014-15	5547.74	1657.68	30
		2015-16	4402.25	385.45	09
		2016-17	6595.66	548.05	08
25.	दमन एवं दीव	2014-15	1291.03	119.70	09
		2015-16	1377.52	279.00	20
		2016-17	1387.52	232.55	17
26.	शहरी विकास मंत्रालय	2014-15	8713.64	4553.51	52
		2015-16	10329.18	4053.46	39
		2016-17	18123.72	2728.23	15
27.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	2014-15	15143.17	9728.38	64
		2015-16	9064.87	1314.82	15
		2016-17	8381.61	2083.74	25
28.	महिला एवं बाल विकास	2014-15	21193.91	2652.77	13

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
		2015-16	17930.46	689.78	04
		2016-17	18295.37	1227.76	07
राजस्व (प्रभारित)					
29.	विनियोग-ब्याज भुगतान	2014-15	449882.66	24784.40	06
		2015-16	476089.17	18818.79	04
		2016-17	508782.30	4267.76	01
30.	राज्यों को अंतरण	2014-15	64675.00	2861.68	04
		2015-16	88864.52	4285.73	05
		2016-17	100646.36	5096.06	05
पूँजीगत (दत्त)					
31.	परमाणु उर्जा	2014-15	4408.46	1024.20	23
		2015-16	4513.69	472.84	10
		2016-17	7154.68	1735.33	24
32.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2014-15	10678.26	192.89	02
		2015-16	20587.26	213.70	01
		2016-17	51151.61	27091.82	53
33.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	2014-15	353.50	145.49	41
		2015-16	462.00	120.21	26
		2016-17	649.00	140.27	22
34.	आर्थिक कार्य विभाग	2014-15	12515.86	2621.50	21
		2015-16	78412.12	1444.68	02
		2016-17	10142.92	1772.08	17
35.	वित्तीय सेवा विभाग	2014-15	24795.03	13725.47	55
		2015-16	29716.24	2150.21	07
		2016-17	33206.38	5032.84	15
36.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2014-15	1964.52	1092.16	56
		2015-16	1017.37	126.23	12
		2016-17	1757.90	534.07	30
37.	पुलिस	2014-15	9863.51	3924.49	40
		2015-16	9259.78	201.74	02
		2016-17	9878.50	1010.32	10

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
38.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2014-15	37436.27	1665.45	04
		2015-16	69326.81	6407.74	09
		2016-17	86679.70	10821.33	12
39.	अंतरिक्ष विभाग	2014-15	3656.58	1205.72	33
		2015-16	3464.52	420.72	12
		2016-17	3887.77	300.73	08
40.	शहरी विकास मंत्रालय	2014-15	8826.22	2137.48	24
		2015-16	10202.10	255.71	03
		2016-17	17225.48	493.01	03
पूँजीगत (प्रभारित)					
41.	राज्यों को अन्तरण	2014-15	13000.00	1102.68	08
		2015-16	12600.00	101.80	01
		2016-17	18100.00	336.41	02
रेलवे राजस्व (दत्तमत्त)					
42.	सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	2014-15	6472.70	366.92	06
		2015-16	6992.79	803.11	11
		2016-17	8360.53	801.23	10
43.	स्थायी मार्ग और निर्माण कार्य की मरम्मत और रखरखाव	2014-15	10403.99	123.47	01
		2015-16	11657.55	770.42	07
		2016-17	13710.68	848.76	06
44.	मोटिव पावर की मरम्मत और रखरखाव	2014-15	4920.70	138.01	03
		2015-16	5464.56	191.56	04
		2016-17	6317.60	288.90	05
45.	संयंत्र और उपकरण की मरम्मत और रखरखाव	2014-15	6340.96	314.94	05
		2015-16	7238.18	984.22	14
		2016-17	8111.91	740.76	09
46.	परिचालन खर्च - ट्रेफिक	2014-15	19713.11	638.65	03
		2015-16	22124.02	1583.59	07
		2016-17	26308.01	2300.99	09
47.	कर्मचारी कल्याण और	2014-15	5177.22	160.75	03

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
		2015-16	5861.45	544.78	09
		2016-17	6622.05	670.91	10
48.	विविध कार्य व्यय	2014-15	5654.59	548.31	10
		2015-16	6220.07	486.04	08
		2016-17	6818.60	788.72	12
49.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2014-15	30142.70	506.94	02
		2015-16	34574.38	2646.55	08
		2016-17	47169.76	4916.64	10
रेलवे पूंजीगत (दत्तमत्त)					
50.	पूंजीगत	2014-15	79272.06	5587.59	07
		2015-16	91561.86	12720.22	14
		2016-17	91589.80	1403.18	02
51.	रेलवे निधि- मूल्यहास आरक्षित निधि, विकास निधि और पूंजीगत निधि	2014-15	17560.95	169.83	01
		2015-16	20294.81	1917.72	09
		2016-17	16663.06	4556.18	27

अनुबन्ध 3.7

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

मामले जिनमें अभ्यर्पित की गई राशि बचतों से अधिक थीं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	अनुभागो के अन्तर्गत बचतें	अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित की गई अधिशेष राशि
सिविल				
राजस्व (दत्तमत्त)				
1.	07 -ऊर्वरक विभाग	4008.17	4267.02	258.85
2.	08 -औषधि विभाग	3.75	3.82	0.07
3.	89 -जनजातीय कार्य मंत्रालय	46.22	46.43	0.21
पूँजीगत (दत्तमत्त)				
4.	14 -दूरसंचार विभाग	31.11	31.19	0.08
5.	44 -भारी उद्योग विभाग	20.72	21.20	0.48
6.	61 -नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	4.37	4.39	0.02
7.	81 -कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	24.74	25.54	0.80

अनुबंध 3.8

(पैराग्राफ 3.9 के सन्दर्भ में)

ऐसे मामले जिनमें 30/31 मार्च 2017 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
				(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
सिविल						
राजस्व (दत्तमत)						
1.	1-कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	8184.27	8095.89	8095.89	99	88.38
2.	2 -कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	624.83	616.74	616.74	99	8.09
3.	3 -पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग	127.22	110.90	110.90	87	16.32
4.	4 -परमाणु ऊर्जा	130.60	0.00	0.00	--	130.60
5.	7 -उर्वरक विभाग	4008.17	(4267.02)	(4267.02)	106	--
6.	9 -नागर विमानन मंत्रालय	114.03	112.04	112.04	98	1.99
7.	12 -औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	1034.56	892.00	892.00	86	142.56
8.	17 -खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	26385.95	26374.49	26374.49	99.96	11.46
9.	19 -संस्कृति मंत्रालय	169.12	116.30	116.30	69	52.82
10.	20 -रक्षा मंत्रालय (विविध)	2970.99	2138.50	2138.50	72	832.49
11.	26 -पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	110.85	33.62	33.62	30	77.23
12.	27 -पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	143.65	45.49	45.49	32	98.16
13.	28 -विदेश मंत्रालय	1120.16	626.03	626.03	56	494.13
14.	29 - आर्थिक कार्य विभाग	11583.35	5984.58	5984.58	52	5598.77
15.	30 - वित्तीय सेवाएं विभाग	1240.22	612.96	612.96	49	627.26
16.	32 -राज्यों को अन्तरण	611.63	111.62	111.62	18	500.01
17.	37 -राजस्व विभाग	889.90	867.42	867.42	97	22.48
18.	42 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का विभाग	3853.40	1600.97	1600.97	42	2252.43
19.	46 -गृह मंत्रालय	326.54	296.36	296.36	91	30.18

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

ऐसे मामले जिनमें 30/31 मार्च 2017 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
						(₹ करोड़ में)
20.	50 - आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	190.06	171.23	171.23	90	18.83
21.	51 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1532.09	863.63	863.63	56	668.46
22.	52 - उच्चतर शिक्षा विभाग	678.07	556.40	556.40	82	121.67
23.	53 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	179.57	68.85	68.85	38	110.72
24.	54 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	1122.08	1089.49	1089.49	97	32.59
25.	56 - विधि एवं न्याय	1403.47	1337.64	1337.64	95	65.83
26.	58 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	1510.51	1400.00	1400.00	93	110.51
27.	60 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	778.13	775.70	775.70	99.69	2.43
28.	61 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2239.29	1130.11	1115.11	50	1109.18
29.	64 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	175.78	170.14	170.14	97	5.64
30.	66 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1459.49	9.22	9.22	1	1450.27
31.	68 - विद्युत मंत्रालय	3972.22	2625.33	2625.33	66	1346.89
32.	74 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	36014.93	33602.70	33602.70	93	2412.23
33.	75 - ग्रामीण विकास विभाग	1155.32	806.50	806.50	70	348.81
34.	77 - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	168.77	139.84	139.84	83	28.93
35.	80 - पोत परिवहन मंत्रालय	144.42	125.32	125.32	87	19.10
36.	81 - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	595.20	590.51	590.51	99	4.69
37.	85 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	483.68	475.17	475.17	98	8.51
38.	87 - वस्त्र मंत्रालय	548.05	526.60	526.60	96	21.45
39.	93 - दमन एवं दीव	232.55	232.13	232.13	99.82	0.42
40.	94 - लक्षद्वीप	200.99	186.44	186.44	93	14.55
41.	95 - शहरी विकास मंत्रालय	2728.23	1.60	1.60	0.06	2726.63

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

ऐसे मामले जिनमें 30/31 मार्च 2017 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
						(₹ करोड़ में)
42.	96 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	2083.74	2051.01	2051.01	98	32.73
43.	97 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1227.76	1032.73	1032.73	84	195.03
44.	98 - युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	195.37	190.79	190.79	98	4.58
राजस्व (प्रभारित)						
45.	31 - विनियोग- ब्याज भुगतान	4267.76	0.00	0.00	--	4267.76
46.	32 -राज्यों को अन्तरण	5096.06	3564.26	3564.26	70	1531.80
पूँजीगत (दत्तमत)						
47.	4 -परमाणु ऊर्जा	1735.33	1642.02	1642.02	95	93.31
48.	10 -कोयला मंत्रालय	300.08	0.00	0.00	--	300.08
49.	17 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	27091.82	27091.80	27091.80	100	0.02
50.	20 -रक्षा मंत्रालय (विविध)	301.58	163.11	163.11	54	138.47
51.	24 -उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	140.27	138.22	138.22	99	2.05
52.	26 -पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	100.34	75.00	75.00	75	25.34

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

ऐसे मामले जिनमें 30/31 मार्च 2017 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
						(₹ करोड़ में)
53.	28 -विदेश मंत्रालय	1369.88	1210.63	1210.63	88	159.25
54.	29 -आर्थिक कार्य विभाग	1772.08	1641.69	1641.69	93	130.39
55.	30-वित्तीय सेवा विभाग	5032.84	2.82	2.82	0.06	5030.02
56.	42 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	534.07	467.24	467.24	87	66.83
57.	46 -गृह मंत्रालय	101.31	95.29	95.29	94	6.02
58.	48 -पुलिस	1010.32	866.90	866.90	86	143.42
59.	59 -खान मंत्रालय	122.10	119.11	119.11	98	2.99
60.	68 -विद्युत मंत्रालय	1650.44	1463.13	1463.13	89	187.31
61.	74 -सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	10821.33	9732.38	9732.38	90	1088.95
62.	86 -इस्पात मंत्रालय	200.00	200.00	200.00	100	--
63.	90 -अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	204.95	202.88	202.88	99	2.07
64.	95 -शहरी विकास मंत्रालय	493.01	100.00	100.00	20	393.01
65.	96 -जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	300.10	280.92	280.92	94	19.18
पूँजीगत (प्रभारित)						
66.	32 -राज्यों को अन्तरण	336.41	136.41	136.41	41	200.00
67.	86 -ईस्पात मंत्रालय	110.00	110.00	110.00	100	--

टिप्पण:

- कोष्ठक के आंकड़े यह इंगित करते हैं कि अभ्यर्पित की गयी राशि बचत से अधिक है।
- समर्पण की तिथि के हिसाब से लेखापरीक्षा आदेश की तिथि अर्थात् वह तिथि जब वित्त मंत्रालय द्वारा अभ्यर्पण को मंजूरी दी जाती है, ली गई है।

अनुबन्ध 3.9

(पैराग्राफ 3.12 के संदर्भ में)

ऐसे लघु/उप-शीर्ष पर पुनर्विनियोजन जो गैर-उपयोगिता के कारण विवेकहीन थे
(₹5 करोड़ एवं अधिक के पुनर्विनियोजन)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के तहत पुनर्विनियोजन की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत
सिविल						
1.	14-दूरसंचार विभाग	3451.00.091.12 - संचार लेखा नियंत्रक	ओ एस	116.84 16.94	7.14	11.59
2.	15-इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2852.07.202.88 - नियामक प्राधिकरण	ओ	148.00	11.87	21.40
3.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	2052.00.090.01 -रक्षा विभाग	ओ एस	144.06 7.01	5.77	9.58
4.		2076.00.109.01 -सिविल	ओ एस	1067.75 9.87	61.75	63.16
5.	29-आर्थिक कार्य विभाग	2052.00.090.09 -आर्थिक कार्य विभाग	ओ एस	160.25 0.01	18.52	33.62
6.		2075.00.800.18 - डेबिट कार्ड के माध्यम से धन संग्रहण पर खर्च की गई लागत	एस	0.01	49.99	50.00
7.	30-वित्तीय सेवा विभाग	5465.01.797.01 - राष्ट्रीय निवेश कोष	ओ एस	1780.00 2845.00	500.00	5030.02
8.	31 -विनियोग - ब्याज भुगतान	2049.01.200.03 - मुआवजा और अन्य बांड	ओ एस	1649.95 10.00	163.17	347.52
9.		2049.03.108.02 - औद्योगिक श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन-सह-जीवन बीमा निधि	ओ एस	8849.85 10.00	72.20	225.71
10.	42-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210.06.001.09 - संक्रामक रोगों के लिए फ्लैक्सिबल पूल	ओ	1423.92	69.62	273.91
11.	48-पुलिस	2055.00.103.01 - स्थापना एवं प्रशासन	ओ एस	4239.50 292.00	13.05	14.81
12.	52-उच्चतर शिक्षा विभाग	2251.00.090.17 -उच्चतर शिक्षा विभाग	ओ	95.99	6.00	7.19
13.		2202.80.800.44 - डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग	ओ एस	366.78 0.01	10.63	26.25
14.	58 -सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2851.00.102.98 - उद्यमिता एवं कौशल विकास	ओ	133.23	11.80	13.56
15.	95-शहरी विकास मंत्रालय	2216.05.053.07 -अन्य अनुरक्षण कार्य	ओ एस	305.76 0.0034	7.00	14.51

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

क्र.सं	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के तहत पुनर्विनियोजन की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत
16.		2217.05.001.02 -स्वच्छ भारत मिशन	ओ	101.86	139.03	140.19
रक्षा सेवाएं						
17.	22-रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2076.00.111 - निर्माण कार्य	ओ एस	7889.15 0.10	100.00	180.80
18.		2076.00.800 -अन्य खर्च	ओ एस	2281.17 58.00	29.46	85.69
योग					1277.00	

अनुबंध 3.10

(पैराग्राफ 3.13 के संदर्भ में)

लघु/उपशीर्ष से पुनर्विनियोग का परिणाम अधिक व्यय में हुआ
(₹5 करोड़ एवं अधिक के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग का विवरण	लघु-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष में से पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अधिशेष व्यय
सिविल						
1.	42-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	4210.01.110.08 - केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची	ओ	24.00	13.91	15.69
2.	48-पुलिस	4055.00.202.04 -सामान्य	ओ एस	100.00 18.00	8.00	10.98
रक्षा						
3.	22 -रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2078.00.110 - भण्डार गृह	ओ एस	7334.05 895.02	48.47	190.64
4.	23- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076.01.103 - अन्य उपकरण	ओ	16173.35	704.85	2354.41
5.		4076.01.106 - रोलिंग स्टॉक	ओ	282.76	30.90	198.61
6.		4076.02.202 - निर्माण कार्य	ओ	635.45	35.65	49.03
डाक						
7.	13 -डाक विभाग	3201.02.101.01 - मौजूदा डाक कार्यालय	ओ एस	7898.83 25.36	146.68	205.28
8.		3201.07.104.01 - उपदान	ओ	830.39	28.41	88.16
9.		3201.07.110.01 - लेखापरीक्षा स्टाफ के अलावा अन्य परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना के लिए सरकारी अंशदान	ओ	230.00	10.80	50.63
10.		3201.02.103.02 - वायु	ओ एस	143.00 15.00	5.33	5.35
				कुल	1033.00	

ओ - मूल; एस - अनुपूरक

अनुबंध 3.11
(पैराग्राफ 3.14 के संदर्भ में)

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
सिविल							
1.	1-कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	2401.00.107.07 - कृषोन्नति योजना केन्द्रीय क्षेत्र	143.56	12.03	137.56	18.03	रिक्त पदों को न भरने, प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं देने और किराये के उच्च दावों के लंबित रहने के कारण।
2.	4 - परमाणु ऊर्जा	2852.09.211.04 - ईंधन पुनर्चक्रीय और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा	464.00	22.82	439.56	47.26	तेल और डीजल की कीमतों में कमी, कम दौरे और आर्थिक उपाय के कारण।
3.	11 - वाणिज्य विभाग	3453.00.194.05 - निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं	671.00	9.00	628.85	51.15	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर कटौती तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।
4.	14 - दूरसंचार विभाग	2071.01.102.01 - साधारण पेंशन	1050.00	45.00	804.18	290.82	कम दावों का प्राप्ति के कारण।
5.	20 - रक्षा मंत्रालय (विविध)	2076.00.113.01 - सिविल	1187.23	12.57	1136.55	63.25	7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आंशिक कार्यान्वयन, कपड़े और तम्बू पर कम व्यय, नागरिकों के वेतन और भत्ते तथा मोटर वाहनों के कारण।

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
6.		2080.00.101.01 - वेतन एवं भत्ते	377.00	18.00	354.81	40.19	वेतन और भत्ते के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन न होने के कारण।
7.	21 - रक्षा पेंशन	2071.02.101.03 - अवकाश नकदीकरण	2040.05	75.45	2006.79	108.71	सेवानिवृत्त लोगों की संख्या कम होने, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के कारण अवकाश नकदीकरण को रोकने तथा सेवानिवृत्त लोगों के क्रेडिट पर कम छुट्टी होने के कारण।
8.	30 - वित्तीय सेवा विभाग	5465.01.797.01 - राष्ट्रीय निवेश कोष	1780.00	2845.00	94.98	4530.02	अनुमान की तुलना में विनिवेश की प्राप्ति में कमी के कारण तथा राष्ट्रीय निवेश कोष को कम अंतरण के परिणामस्वरूप।
9.		2049.01.200.03 - मुआवजा और अन्य बांड	1649.95	10.00	1475.60	184.35	निवेशकों द्वारा दावों को वरीयता न देने और आहरण के कारण।
10.	31 - विनियोग - ब्याज भुगतान	2049.03.108.02 - औद्योगिक श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन-सह-जीवन बीमा योजना	8849.85	10.00	8706.34	153.51	ब्याज दर में कमी के साथ-साथ कम अंशदान के कारण।
11.	33 - विनियोग - ऋण पुनर्भुगतान	6001.00.106.22 - 8.5% राहत बांड, 2001	9.40	11.78	0.22	20.96	दावों की प्राप्ति न होने के कारण।

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
12.		6002.00.216- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण	5688.42	44.53	5553.30	179.65	कुछ ऋणों में ऋण राशि को रद्द करने तथा पुनर्भुगतान अनुसूची में संशोधन के कारण।
13.		6002.00.250 - एशियाई विकास बैंक से ऋण	3306.96	63.52	3266.40	104.08	विनिमय दर में भिन्नता के कारण।
14.	38 - प्रत्यक्ष कर	2020.00.001.03 - संगठन और प्रबंधन सेवाएं	562.66	6.00	537.28	31.38	मेडिकल प्रतिपूर्ति के लिए कम निधि की आवश्यकता, कम दौरे किए जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम, आईटी अधिप्रापणों तथा किराया, दरों और करों में संशोधन न होने तथा आर्थिक उपाय के कारण।
15.	39 - अप्रत्यक्ष कर	2038.00.101.05 - प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के भुगतान और लेखा कार्यालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) सीबीईसी	52.33	7.88	50.14	10.07	रिक्त पदों को न भरने तथा जीएसटी पोर्टल के प्रति कम निधि की गैर-आवश्यकता के कारण।
16.	68 - विद्युत मंत्रालय	2801.06.103.02 - ग्रामीण विद्युतीकरण एवं फीडर पृथक्करण	800.00	7.20	770.90	36.30	कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन तथा विज्ञापन के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
17.		2801.80.102.01 - वैधानिक प्राधिकरण	154.87	11.09	148.87	17.09	रिक्त पदों को न भरने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता, सॉफ्टवेयर की खरीद में विलंब, योजना के गैर-कार्यान्वयन, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के स्तर पर लगायी गयी कटौती तथा आर्थिक उपायों के कारण।
18.	74 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3054.01.337.01 - सड़क विंग द्वारा रखरखाव	2834.00	2041.40	2690.43	2184.97	राज्य महालेखाकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा निधियन प्रतिमान में परिवर्तन के कारण।
19.	81 - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	2230.03.796.09 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	136.98	20.92	87.04	70.86	केंद्रों की स्थापना के लिए मानदंडों को अंतिम रूप न देने से योजना आरंभ न होने के कारण।
20.	95 - शहरी विकास मंत्रालय	4217.60.190.14 - एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं	1523.03	339.01	1433.20	428.84	कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग की प्राप्ति तथा सरकार से मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
21.	96 - जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	3075.01.201.03 - फरक्का बैराज	67.57	24.00	61.49	30.08	सलाहकारी और संविदात्मक सेवाओं के गैर-भर्ती के कारण।
22.		4702.00.800.06 - भूजल प्रबंधन और नियमन	200.00	25.00	42.91	182.09	मशीनरी और उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन न होने के कारण।

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
रक्षा सेवाएं							
राजस्व (दत्तमत)							
23.	22 - रक्षा सेवाएं (राजस्व)	2076.00.103 - वेतन एवं भत्ते और सहायक बलों के विविध व्यय	1500.93	339.53	1255.05	585.41	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के गैर-कार्यान्वयन के कारण
24.		2076.00.111 - निर्माण कार्य	7889.15	0.10	7808.45	80.80	प्रक्रियात्मक विलंब के कारण कुछ रखरखाव परियोजनाएं भी नहीं ली जा सकीं
25.		2077.00.101 - नौसेना के वेतन एवं भत्ते	5265.00	228.37	4986.17	507.20	सीमाशुल्क इयूटी पर किए गए व्यय हेतु अन्य लघु शीर्षों को अंतरित निधि के कारण और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के भी कार्यान्वयन न होने के कारण
26.		2077.00.104 - सिविलियन के वेतन एवं भत्ते	2410.00	102.87	2173.45	339.42	7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आंशिक कार्यान्वयन के कारण
27.		2077.00.111 - निर्माण कार्य	1519.95	5.88	1377.06	148.77	प्रत्याशा से कम मांग होने तथा भवन के अनुरक्षण तथा प्रतिष्ठापन के संचालन पर निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण
28.		2077.00.112 - संयुक्त कर्मचारी	2226.44	60.97	2121.00	166.41	7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आंशिक कार्यान्वयन के कारण

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
29.		2078.00.101 - वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	12071.83	150.00	11513.31	708.52	7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आंशिक कार्यान्वयन के कारण
30.		2078.00.104 - सिविलियन के वेतन एवं भत्ते	1363.65	25.00	1345.91	42.74	7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आंशिक कार्यान्वयन के कारण
31.		2078.00.800 - अन्य खर्च	624.64	5.35	568.39	61.60	अर्थव्यवस्था उपायों के प्रवर्तन, आदेश द्वारा कम व्यय और कुछ अधिप्रापण को मूर्तरूप न दिये जाने के कारण।
डाक सेवाएं							
राजस्व (दत्तमत)							
32.	13 - डाक विभाग	3201.02.101.04 - प्रीमियम उत्पाद सेवाएं	180.12	5.00	167.87	17.25	अनुमान की तुलना में अधिकारियों की सेवानिवृत्ति/कर्मचारियों का स्थानांतरण अधिक होने के कारण वेतन शीर्ष के अंतर्गत व्यय कम था।
33.		3201.03.101.08 - डाक जीवन बीमा शाखा मंडल कार्यालय	93.21	1.50	78.80	15.91	अनुमान की तुलना में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण के कारण वेतन के अंतर्गत कम व्यय के कारण तथा और प्रोत्साहन बिलों की प्राप्ति न होने के कारण।
34.		3201.06.101.05 - सीजीएचएस योजना के अंतर्गत भुगतान	22.98	1.30	21.26	3.02	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अनुमान की तुलना में बिलों की कम प्राप्ति होने के कारण।

अनुबंध 3.12

(पैराग्राफ 3.15 के संदर्भ में)

शेष अव्यतीत संपूर्ण प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचत
सिविल			
अनुदान सं. 1- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग			
1.	2416.00.800.09 - प्रावधान का समायोजन	5203.72	5203.72
2.	2435.01.800.26 - प्रावधान का समायोजन	200.00	200.00
अनुदान सं. 17- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग			
3.	2408.01.101.08 - आंतरिक राज्य आंदोलन, खाद्यान्नों को संभालने और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर बैठक व्यय हेतु बिना विधानसभा के यूटी के लिए केन्द्रीय सहायता	76.00	76.00
4.	3601.01.551.01 - आंतरिक राज्य आंदोलन, खाद्यान्नों को संभालने और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर बैठक व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों हेतु केन्द्रीय सहायता	2200.00	2200.00
5.	3602.01.551.01 - आंतरिक राज्य आंदोलन, खाद्यान्नों को संभालने और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर बैठक व्यय हेतु बिना विधानसभा के यूटी के लिए केन्द्रीय सहायता	224.00	224.00
6.	6860.04.190.04 - गन्ना विकास के लिए चीनी मिल	75.00	75.00
अनुदान सं. 20 - रक्षा मंत्रालय (विविध)			
7.	3054.02.797.01 - सीमा सड़क के अंतर्गत कार्य	70.00	70.00
8.	5054.02.797.01 - सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत कार्य	380.00	380.00
अनुदान सं. 29 - आर्थिक कार्य विभाग			
9.	3075.60.101.01 - रेलवे को भुगतान	4300.80	4300.80
10.	3466.00.109.02 - एशियाई विकास कोष में योगदान -12	330.50	330.50
11.	3605.00.101.39 - भारतीय कंपनियों हेतु ब्याज समीकरण समर्थन	500.00	500.00
12.	5466.00.201.01 - पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) का अंशदान	163.98	163.98
13.	7475.00.800.10 - ऋण के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत आईएमएफ को ऋण (एनएबी)	1486.04	1486.04
अनुदान सं. 30 - वित्तीय सेवा विभाग			
14.	2235.60.102.03 - असंगठित क्षेत्र से लोगों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलंबन योजना	209.00	209.00
15.	3465.01.797.01 - सुरक्षा मुक्त निधि	625.00	625.00
अनुदान सं. 31 - विनियोग - ब्याज भुगतान			

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

शेष अव्यतीत संपूर्ण प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचत
16.	2049.01.128 - नकद प्रबंधन बिल	1000.00	1000.00
17.	2049.05.101.01 - रेलवे मूल्यहास आरक्षित निधि	99.12	99.12
18.	2049.05.105.01 - रेलवे पेंशन निधि	71.50	71.50
19.	2049.05.105.10 - ऋण सेवा निधि पर ब्याज	108.56	108.56
अनुदान सं. 32 - राज्यों को अन्तरण			
20.	3601.03.560.02 - स्वायत्त परिषद को अनुदान, छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्र	1000.00	1000.00
21.	7601.06.200 - अन्य अर्थोपाय अग्रिम	100.00	100.00
अनुदान सं. 33 -विनियोग - कर्जे का पुर्नभुगतान			
22.	6001.00.124 - भारत मिलेनियम डिपोजिट के संबंध में मूल्य खाता के रखरखाव हेतु आरबीआई को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	442.85	442.85
23.	6001.00.127 - नकद प्रबंधन बिल	100000.00	100000.00
अनुदान सं. 37- राजस्व विभाग			
24.	2047.00.110.01 - जीएसटीएन को अनुदान: एसपीवी	696.69	696.69
25.	4059.60.051.26 - राजस्व भवन का निर्माण	50.00	50.00
अनुदान सं. 42- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
26.	3606.00.237.05 - राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन को मजबूत बनाने के लिए सहायता सामग्री	1869.50	1869.50
27.	3606.00.251.02 - राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री सहायता	137.17	137.17
28.	4210.04.200.27 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)- आरएसएसवाई	50.00	50.00
29.	4210.80.190.05 - एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड	60.00	60.00
अनुदान सं. 48 - पुलिस			
30.	3601.01.117.06 - गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन	135.00	135.00
अनुदान सं. 54 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय			
31.	3601.03.326.01 - असंगठित कार्यकर्ता सामाजिक सुरक्षा कार्ड	64.70	64.70
अनुदान सं. 74 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
32.	5054.01.796.01 - नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (एनएच और राज्य सड़क) के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	400.01	400.01
अनुदान सं. 76 - भूमि संसाधन विभाग			
33.	3601.03.467.09 - डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	81.80	81.80

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

शेष अव्यतीत संपूर्ण प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचत
अनुदान सं. 80 - पोत परिवहन मंत्रालय			
34.	2852.06.102.21 - गैर-केंद्रीय पीएसयू शिपयार्ड और निजी क्षेत्र शिपयार्ड के लिए सब्सिडी	50.00	50.00
अनुदान सं. 86 - इस्पात मंत्रालय			
35.	6858.04.190.01 - हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	110.00	110.00
36.	6858.04.190.01 - हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	200.00	200.00
अनुदान सं. 90 - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			
37.	5052.80.796.01 - जहाजों की खरीद	50.25	50.25
अनुदान सं. 95 -शहरी विकास मंत्रालय			
38.	2217.05.797.02 - राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को स्थानांतरित	2300.00	2300.00
अनुदान सं. 96 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय			
39.	3601.03.786.03 - सीमा प्रबंधन से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियां और निर्माण कार्य	120.28	120.28
अनुदान सं. 97 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय			
40.	3602.03.356.02 - निर्भया योजना	63.91	63.91
योग			125305.38

अनुबंध 3.13
(पैराग्राफ 3.16 के संदर्भ में)

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 1 - कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग					
1.	2416.00.102.02- किसानों को अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी	15000.00	13397.13	1602.87	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण।
2.	3601.02.436.04 - कृषोन्नति योजना- राज्य योजना	1175.95	909.45	266.50	कम प्रस्तावों की प्राप्ति और राज्य सरकारों के पास पूर्व वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
3.	3601.02.437.02 - कृषोन्नति योजना- राज्य योजना	489.88	299.40	190.48	कम प्रस्तावों की प्राप्ति, राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और राज्य सरकारों के पास पूर्व वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
4.	3601.02.446.04 - कृषोन्नति योजना[- राज्य योजना	5374.00	3888.85	1485.15	कम प्रस्तावों की प्राप्ति और राज्य सरकारों के पास पूर्व वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
5.	3601.02.453.02 - कृषोन्नति योजना- राज्य योजना	300.93	156.45	144.48	
6.	3601.02.460.05 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति ड्रॉप अधिक फसलें (पीएमकेएसवाई)	1745.48	1494.97	250.51	
7.	3601.02.789.63 -कृषोन्नति योजना- राज्य योजना	808.48	555.52	252.96	अपर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और राज्य सरकारों के पास पूर्व वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
अनुदान सं. 2 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
8.	2415.01.150.03 - आई.सी.ए.आर. कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड सहित मुख्यालय प्रशासन एवं कृषि बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन में सूचना और प्रकाशन निदेशालय	545.21	319.21	226.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
अनुदान सं. 3 -पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग					
9.	2405.00.103.14 - ब्लू क्रांति - एकीकृत मत्स्य पालन विकास और प्रबंधन	226.88	108.19	118.69	रिक्त पदों को न भरे जाने, एनएफडीबी के माध्यम से न करके विभाग द्वारा अंतर्देशीय मत्स्य पालन की कार्यान्वित की जा रही योजना और निधियों को कार्यान्मक शीर्षों और आर्थिक उपायों से पुनर्विनियोग किए जाने के कारण।
अनुदान सं. 4 - परमाणु उर्जा					
10.	4861.60.190.02 - भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	200	25.00	175.00	टुम्मालापल्ले परियोजना के लागत संशोधन के लिए सुरक्षा पर मंत्रीमंडल समिति के अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण।
11.	4861.60.203.44 - तीव्र प्रतिघातक ईंधन चक्र सुविधा (एफआरएफसीएफ)	900.00	465.45	434.55	कार्य आदेशों को जारी करने में विलम्ब परियोजना प्रबंधन परामर्श के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने और मोटर गाड़ी के प्रापण हेतु अनुमोदन की प्राप्ति न किये जाने के कारण।
12.	4861.60.209.19 - पिछला ईंधन चक्र परियोजनाएं	750.00	451.49	298.51	कुछ मुख्य आपूर्ति आदेशों के वितरण में विलंब और वास्तविक प्रगति या कार्य पर आधारित मशीनरी और उपकरण और मुख्य कार्यों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता, परामर्श अनुबंध में वृद्धि और माटरगाड़ी के लिए संस्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण।
अनुदान सं. 7 - ऊर्वरक विभाग					
13.	2401.00.105.26 - पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति	23100.02	18843.42	4256.60	स्वदेशी पीएवके उर्वरकों के प्रति कम दावों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 10 - कोयला मंत्रालय					
14.	4803.00.800.01 - कोयला अधिकार क्षेत्रों का अधिग्रहण	1100.00	799.92	300.08	स्वामित्व अधिकारों/भूमि टाइटल की गैर-उपलब्धता और कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
अनुदान सं. 12 - औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग					
15.	2852.80.800.40 - मेक इन इंडिया	324.35	170.50	153.85	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कम प्रस्तावों की प्राप्ति, परिकल्पित गतिविधियों का भौतिकीकरण न होना और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी करने के कारण।
16.	2885.03.102.01 - दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट	1399.99	499.86	900.13	वित्त मंत्रालय द्वारा कम प्रस्तावों की प्राप्ति और संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण।
अनुदान सं. 14 - दूरसंचार विभाग					
17.	2071.01.102.01 -साधारण पेंशन	1095.00	804.18	290.82	कम दावों की प्राप्ति के कारण।
18.	2071.01.104.01 -साधारण पेंशन	1600.00	1328.81	271.19	
अनुदान सं. 17 - खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग					
19.	2408.01.102.02 - अनाज के लेनदेन में भारत और अन्य खाद्य निगम को देय सब्सिडी	103584.61	78334.61	25250.00	भारतीय खाद्य निगम को भुगतान योग्य आर्थिक सहायता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण।
20.	2408.01.102.14 - गन्ना की ऑफसेट लागत के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी एवं किसानों के गन्ना मूल्य की देय राशि का समय पर भुगतान की सुविधा	950.01	521.71	428.30	संपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने और योजना की वापसी के कारण।
21.	2408.01.797.01 - चीनी विकास कोष में स्थानांतरण	2000.00	1122.00	878.00	चीनी विकास निधि से वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कम मांग के कारण।
22.	2408.01.800.12 - चीनी उपक्रम को वित्तीय सहायता, प्रदान करने की योजना, 2014	800.00	616.52	183.48	कम मांग की प्राप्ति के कारण
23.	6408.01.190.02 - एफसीआई को देय अर्थोपाय अग्रिम	50000.00	23000.00	27000.00	अन्य चैनलों के माध्यम से दिए गए ऋणों के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
अनुदान सं. 20 - रक्षा मंत्रालय (विविध)					

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
24.	2076.00.112.01 -सिविल	6232.88	5537.49	695.39	वेतन एवं भत्ते, राशन, एफओएल, कोयला एवं जलाऊ लकड़ी के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
25.	4076.04.052.01 - आयुध (कारखानों के आयुध उपकरण समूह सहित)	490.00	368.62	121.38	मशीनरी और उपकरण मदों के कम प्रापण और संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण।
26.	4076.05.111.01 - भूमि निर्माण आदि पर व्यय.	720.15	571.79	148.36	अधिक बिलों की प्राप्ति और संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान कमी के कारण।
अनुदान सं. 27 - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
27.	3435.03.102.05 - पर्यावरण संरक्षण और निगरानी	400.75	280.90	119.85	रिक्त पदों को भरे जाने, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से उपयोग प्रमाणपत्र/व्यय विवरणी की प्राप्ति न करने, राज्य सरकारों द्वारा खतरनाक पदार्थ प्रबंधन के कमियों के प्रशिक्षण के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
अनुदान सं. 28 - विदेश मंत्रालय					
28.	2061.00.798.07 -नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	200.00	80.23	119.77	निविदा प्रक्रिया को पूरा न किए जाने के कारण।
29.	3605.00.101.10 - भूटान को सहायता	2814.50	2159.90	654.60	सही बैंक की निरंतर स्लाइडिंग के कारण परियोजनाओं में विलंब और पुनातसंगधु-1 पनबिजली परियोजना (एचईपी) के अंतर्गत साइट पर सशक्तीकरण उपायों और भूटान में एचईपी के संशोधित लागत अनुमानों को आंतिम रूप देने में विलंब के कारण।
30.	3605.00.101.12 -श्री लंका - अन्य सहायता कार्यक्रम	230.00	99.16	130.84	चल रही परियोजनाओं के वित्तीय और भौतिक प्रगति के अनुसार व्यय करने के आकलन के कारण।
31.	3605.00.101.14 - म्यांमार को सहायता	400.00	123.62	276.38	चल रही परियोजनाओं के वित्तीय और भौतिक प्रगति के अनुसार व्यय करने के आकलन और कालादान परियोजना हेतु निविदात्मक प्रक्रिया में विलंब के कारण।
32.	3605.00.101.33 - अफगानिस्तान को सहायता	520.00	263.02	256.98	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
33.	7605.00.097.01 - भूटान में चालू जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	2675.50	1281.57	1393.93	भौगोलिक कठिनाइयों एवं संबंधित विकास के कारण भूटान में एचईपी में धीमी प्रगति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण।
अनुदान सं. 29 - आर्थिक कार्य विभाग					
34.	2250.00.797.01 -वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष को स्थानांतरित	5889.16	389.16	5500.00	वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
35.	3465.01.797.02 - राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) के लिए स्थानांतरण	4000.00	15.00	3985.00	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि की गतिविधियों में कमी के कारण।
36.	5475.00.115.01 - बुनियादी ढांचा विकास हेतु सहायता - व्यवहार्यता अंतर निधियां	250.00	132.26	117.74	कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 30 - वित्तीय सेवा विभाग					
37.	2235.60.102.05 -अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	200.00	36.00	164.00	पूर्व वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण।
38.	2235.60.110.05 - आम आदमी बीमा योजना में सरकार का योगदान	450.00	100.00	350.00	कार्यान्वयन अभिकरण से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
39.	4416.00.190.03 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनः पूंजीकरण के लिए सरकारी शेयर का योगदान	140.00	5.50	134.50	राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक हेतु सरकारी योगदान के प्रति कम निधियों की आवश्यकता और ओडिशा ग्राम्य बैंक के प्रायोजित बैंक के शेयर का निर्गम न किया जाना।
40.	5465.01.190.42 - लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) के माध्यम से कंपनियां शुरू करने के लिए भारत आकांक्षा निधि (आईएएफ) हेतु शेयर पूंजी	600.00	100.00	500.00	कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी (एनसीजीटीसी) के पास पूर्व वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण।
41.	5465.01.797.01 -राष्ट्रीय निवेश कोष	4625.00	94.98	4530.02	अनुमानित से विनिवेश प्राप्तियों को जारी करने में कमी और परिणामस्वरूप राष्ट्रीय निवेश कोष को कम अंतरण होने के कारण।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 31 - विनियोग - ब्याज भुगतान					
42.	2048.00.200.13 - सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद पर प्रीमियम का भुगतान	1000.00	593.42	406.58	स्विचिंग और वापस खरीदने के संचालन में कम प्रीमियम का भुगतान किए जाने के कारण।
43.	2049.01.103.01 - 91 दिवसीय खजाना बिल पर छूट	13863.95	10512.45	3351.50	ब्याज दरों के घटने और निर्गमनों की कम मात्रा के कारण।
44.	2049.01.108 - 182 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज	6305.25	5470.95	834.30	
45.	2049.01.110 - 364 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज	11544.70	8726.31	2818.39	
46.	2049.01.115 - भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	500.00	111.99	388.01	अर्थोपाय अग्रिमों का कम उपयोग और अधिशेष निधियों की उपलब्धता के ओवरड्राफ्ट के कारण।
47.	2049.01.200.03 - प्रतिपूर्ति और अन्य बांड	1659.95	1475.60	184.35	दावों को कम पसंद करना और निवेशकों द्वारा आहरण के कारण।
48.	2049.03.104.02 - अन्य राज्य भविष्य निधि	2957.19	2554.99	402.20	अंशदान में वृद्धि के प्रति कम निधियों की आवश्यकता और ब्याज दर में कमी के साथ कम अंशदान के कारण।
अनुदान सं. 32 - राज्यों को अन्तरण					
49.	3601.01.104.21 - राज्य आपदा राहत निधि के लिए अनुदान सहायता	10470.00	8374.95	2095.05	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों को पूरा न करना एवं वस्तु एवं सेवाकर का कार्यान्वयन न होने के कारण।
50.	3601.01.104.22- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	48868.36	45868.35	3000.01	उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न होने तथा विधिवत कप से गठित निकायों का अस्तित्व न होने के कारण।
अनुदान सं. 33 - विनियोग - कर्ज का पुर्नभुगतान					
51.	6001.00.105.02 - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	500.00	14.00	486.00	अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि से प्रतिभूतियों के डिस्चार्ज हेतु कम मांग के कारण।
52.	6001.00.114 - भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	500000.00	163489.00	336511.00	अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के कम उपयोग के कारण।
अनुदान सं. 42 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
53.	2210.05.105.41 - एम्स जैसे सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन	1330.00	1173.73	156.27	नए एम्स अस्पतालों के साइटों के लिए भूमि के प्रापण में विलंब और निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
54.	2210.06.001.09 - संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सिबल पूल	1423.92	1219.63	204.29	रिक्त पदों को न भरे-जाने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति, मीडिया अभियानों को अनुमोदित किए जाने, मलेरिया, कालाजार एवं टीबी दवाईयों का प्रापण न किए जाने के कारण।
55.	2210.06.800.51 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)	270.00	30.73	239.27	रूपरेखा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का अनुमोदन न किए जाने के कारण।
56.	3601.02.246.02 - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लैक्सी पूल	553.04	355.30	197.74	राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में निर्धारित दिनों की कम संख्या के कारण प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
57.	3601.02.263.14 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) - आरएसएसवाई	460.10	315.81	144.29	रूपरेखा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का अनुमोदन न किए जाने के कारण।
58.	3601.02.789.35 - सार्वजनिक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण	682.85	387.58	295.27	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अनुमोदन किए जाने के कारण रूपरेखा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
59.	3601.02.796.35 - सार्वजनिक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण	370.77	259.63	111.14	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर मंत्रिमण्डल के गैर -अनुमोदन के कारण रूपरेखा को अंतिम रूप न दिए जाने और कम प्रस्तावों की प्राप्ति और राज्यों की अवशोषण क्षमता के कारण।
60.	4210.03.105.12 - एम्स जैसे सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन	1060.00	779.42	280.58	कार्य की कम प्रगति, वाहनों की कम संख्या का प्रापण, राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों के अपग्रेड के पीएमएसएसवाई के चरण I, II, और III के प्रापण के कारण।
अनुदान सं. 44 - भारी उद्योग विभाग					
61.	6854.60.800.01 - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन	439.93	298.42	141.51	हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड से संबंधित ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण।
62.	6858.60.190.07 - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और पृथक्करण योजना (वीआरएस/वीएसएस) और वैधानिक बकाया राशि का कार्यान्वयन	1150.70	890.62	260.08	हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड से संबंधित ऋण को इक्विटी में बदलने और पुनरुद्धार योजना/स्वैच्छिक योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को निधियों के पुनर्विनियोग और वैधानिक देय राशियों के कारण।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 46 - गृह मंत्रालय					
63.	2235.01.112.04 - पीएसी द्वारा अधिकृत कश्मीर और चाम्बा नीबात क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति	300.01	9.34	290.67	डीबीटी मोड के लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया को पूरा न किए जाने के कारण।
64.	3601.01.347.01 - पुनर्वास अनुदान	340.02	140.00	200.02	पूर्व निर्गम के उपयोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण।
अनुदान सं. 48 - पुलिस					
65.	2055.00.797.01 - निर्भया निधि को स्थानांतरित	307.60	207.60	100.00	वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार निर्भया निधि को कम अंतरण के कारण।
66.	4055.00.214.02 - भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य	310.00	111.61	198.39	निष्पादन अभिकरणों द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण।
67.	4055.00.215.03 - तटीय सुरक्षा हेतू राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए सहायता	720.00	24.71	695.29	तटीय सुरक्षा के लिए नावों के प्रापण हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन न होने के कारण।
अनुदान सं. 54 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
68.	2230.02.101.03 - रोजगार कार्यालय	712.78	187.88	524.90	योजना को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण।
69.	2230.02.789.02 - रोजगार कार्यालय	175.10	41.22	133.88	
अनुदान सं. 56 - कानून एवं न्याय					
70.	2015.00.800.01 - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर व्यय	1700.00	425.35	1274.65	मतदाता सत्यापन कागज लेखापरीक्षा परीक्षण क्रय के लिए प्रस्तावों को मूर्तरूप न देने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के क्रय हेतु बिलों की प्राप्ति न होने के कारण।
अनुदान सं. 58 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय					
71.	2851.00.102.96 - प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1128.44	322.12	806.32	स्थानीय अवसंरचना के क्रय विकास के कारण कम प्रस्तावों की प्राप्ति और कार्यान्वयन अभिकरण से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।
अनुदान सं. 59 - खान मंत्रालय					

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
72.	4853.01.800.06 - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	152.30	36.11	116.19	भू-तकनीकी जहाज के प्रापण हेतु अनुबंधों को अंतिम रूप न दिए जाने और ग्रेवीओमीटर, जीओ लागर्स के प्रापण के प्रति बिलों के बिलम्बित प्रस्तुतीकरण और पुराने ग्रेवीटोमीटरों और अन्य मशीनों के मरम्मत कार्य की कम आवश्यकता के कारण।
अनुदान सं. 60 - अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय					
73.	2225.04.277.03 - अल्पसंख्यकों हेतु पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति	880.47	584.90	295.57	कम स्टाफ के कार्य में लगाने और प्रशासनिक कारणों के कारण कुछ प्रस्तावों को मूर्तरूप न देने के कारण।
74.	2225.04.277.04 - अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति	514.99	287.10	227.89	
अनुदान सं. 61 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
75.	2810.00.101.01 - गिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय पावर	3180.01	2824.23	355.78	पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्धारित शर्तों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी के कारण।
76.	2810.00.104.04 - अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	441.60	226.84	214.76	परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति और राज्य नोडल अभिकरणों द्वारा समापन रिपोर्टों/उपयोग प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण न किए जाने के कारण।
77.	2810.00.797.01 - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में स्थानांतरित	4947.00	3836.01	1110.99	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा कुछ योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण आरक्षित निधि को कम अंतरण।
अनुदान सं. 66 - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
78.	2802.80.102.08 -एलपीजी के लिए डीबीटीएल	17020.04	13000.00	4020.04	बिक्री की मात्रा का संकुचन तथा अधिक उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी पर आर्थिक सहायता छोड़ने के कारण।
अनुदान सं. 68 - विद्युत मंत्रालय					
79.	2801.01.800.01 - पकल दुल प्रोजेक्ट-जेकेएसपीडीसीएल	409.12	200.00	209.12	रोकड़ प्रबंधन आवश्यकताओं के अनुपालन के कारण।
80.	2801.05.105.03 - एकीकृत ऊर्जा विकास योजना के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन	2492.88	2079.76	413.12	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
81.	2801.05.105.04 - पीएमडीपी 2015 जम्मू और कश्मीर पैकेज (केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से)	425.00	304.70	120.30	
82.	2801.05.797.01 - विद्युत प्रणाली विकास निधि के लिए स्थानांतरण (पीएसडीएफ)	1900.00	564.15	1335.85	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण।
83.	2801.05.800.04 - विद्युत प्रणाली के विकास के लिए योजना पीएसडीएफ से पूरा किए जाने वाले	400.00	219.31	180.69	परियोजना अस्तित्वों द्वारा संविदा के सौपने तथा प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण।
84.	2801.05.800.07 - पीएसडीएफ से मिलने वाली गैस आधारित उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए योजना	1500.00	344.84	1155.16	अंतराष्ट्रीय बाजार में गैस के मूल्यों में कटौती के कारण।
85.	4801.02.190.02 - राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम लिमिटेड	232.50	45.66	186.84	क्षतिपूर्ति तथा पुर्नवास लाभों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
86.	4801.05.800.01 - ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में निवेश	894.92	598.77	296.15	निधियों के अनवधान प्रावधान के कारण।
87.	6801.00.190.09 - विद्युत वित्त निगम - एकीकृत विद्युत विकास योजना के लिए	1997.95	1443.75	554.20	विभिन्न चालू परियोजनाओं द्वारा निधियों के धीरे समावेश के कारण।
88.	6801.00.789.03 - विद्युत वित्त निगम - एकीकृत विद्युत विकास योजना के लिए	386.24	136.89	249.35	
अनुदान सं. 74 -सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
89.	3054.01.337.01 - सड़क स्कंध द्वारा रखरखाव	4875.40	2690.43	2184.97	निधियन प्रतिमानों में परिवर्तन का राज्य महालेखाकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
90.	3054.04.337.09 - अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के सड़क के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	1233.00	746.34	486.66	चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति, नई सड़कों हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने तथा राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा बिलों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर सीआरपीएफ उपकर की कटौती के कारण।
91.	3054.80.797.01 - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि में अंतरण	7544.07	44.04	7500.03	वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राजस्व से पूंजीगत भाग में प्रावधान के पुनः

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
92.	3054.80.797.02 - केंद्रीय सड़क निधि में अंतरण के लिए ब्लॉक अनुदान	29847.00	10104.40	19742.60	वर्गीकरण के कारण।
93.	3601.02.105.01 -राज्य सड़क के लिए अनुदान	10833.00	5025.63	5807.37	चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति, राज्य सरकार द्वारा नई सड़कों के निर्माण के प्रति कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा उपयोग प्रमाण पत्रों की गैर-प्राप्ति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर सीआरएफ उपकर की कटौती के कारण।
94.	5054.01.190.01 - भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	19653.00	14910.46	4742.54	केन्द्रीय सड़क निधि के संशोधित, संवितरण प्रणाली के संशोधन, राज्य लोक निर्माण कार्य विभाग को कुछ परियोजनाओं का अंतरण, निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा ठेकेदारों से समय पर बिलों की गैर -प्राप्ति के कारण सीआरएफ एक उपकर की कटौती के कारण।
95.	5054.01.337.04 - अन्य राजमार्ग संबंधित योजनाएं - केंद्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित	1611.00	368.57	1242.43	निधियन प्रतिमान में परिवर्तन तथा नक्सल क्षेत्रों में चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति तथा बिलों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
96.	5054.80.797.01 - केंद्रीय सड़क निधि में अंतरण	33137.34	28104.60	5032.74	निधियन प्रतिमानों में परिवर्तन तथा वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राजस्व भाग से पूंजीगत भाग में प्रावधान के पुनः वर्गीकरण के कारण।
अनुदान सं. 75 - ग्रामीण विकास विभाग					
97.	2216.03.105.08 - इंदिरा आवास योजना- कार्यक्रम घटक	124.40	17.32	107.08	कार्यान्वयन अभिकरणों तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
98.	2501.06.102.01 - आजीविका - कार्यक्रम घटक	868.01	723.61	144.40	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
99.	2505.02.101.09 - क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता	400.00	140.37	259.63	मोबाईल मानीटरिंग हेतु कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
100.	2505.02.101.13 - वेतन संवितरण के लिए सेवा शुल्क	450.00	158.09	291.91	डाक विभाग से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
101.	2515.00.800.26 - बीपीएल सर्वेक्षण	337.50	6.09	331.41	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों प्राप्ति तथा पिछले वर्ष की लंबित देयताओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
102.	3601.02.420.02 - ईएपी घटक	5000.00	4262.29	737.71	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 81 - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय					
103.	2230.03.102.15 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	1438.23	1066.10	372.13	योजना की स्वीकृति तथा प्रारम्भ में विलम्ब, मापदण्डों को अंतिम रूप न देने तथा व्यवसायिकों की भर्ती न करने के कारण।
104.	2230.03.789.08 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	304.16	153.35	150.81	केन्द्रों की स्थापना हेतु मापदण्डों को अंतिम रूप न देने के कारण योजना को प्रारम्भ न करने के कारण।
अनुदान सं. 85 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
105.	2553.00.101.01 - सहायता अनुदान	3950.00	3499.50	450.50	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा, मणिपुर तथा पंजाब में चुनावों के कारण आदर्श आधार संहिता लागू करने तथा जिला प्राधिकरणों द्वारा समय पर उपयोग/लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण।
अनुदान सं. 88 - पर्यटन मंत्रालय					
106.	3452.80.104.01 - प्रत्यक्ष व्यय	398.00	271.09	126.91	वैश्विक तथा घरेलू प्रचारक आयोजनों तथा अभियानों में अपर्याप्त भागीदारी तथा कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 90 - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह					
107.	5052.80.201.01 - जहाजों की खरीद	141.34	20.78	120.56	जहाज निर्माण संविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा शिप टिकिटिंग एडवांस रिजर्वेशन सिस्टम के सुधार हेतु केन्द्रीय रेल सूचना प्रणाली के साथ अनुबंध को अंतिम रूप न दिए जाने तथा पैक्स वैसल की संविदा सौंपने में विलम्ब के कारण।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 93 - दमन एवं द्वीप					
108.	2801.05.103.01 - संचालन और अनुरक्षण	909.00	712.23	196.77	हाई टेंशन उपभोक्ताओं को खुली पहुँच विद्युत क्रय प्रणाली बदलने, विद्युत की कम लागत तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित स्तर पर की गई कटौती के कारण।
अनुदान सं. 94 - लक्षद्वीप					
109.	3052.01.103.01 - भारतीय पोत परिवहन निगम	400.00	200.00	200.00	जहाजों को चलाने तथा अनुरक्षण के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
110.	4216.01.106.03 -शहरी विकास-निर्माण	630.00	499.63	130.37	चालू निर्माण कार्यों की धीमी गति, उपभोक्ता विभागों से प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति की गैर-प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
111.	4217.60.190.14 - एमआरटीएस एवं मेट्रो परियोजनाएं	1862.04	1433.20	428.84	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग की प्राप्ति तथा सरकार से मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु स्वीकृति की गैर-प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 96 - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय					
112.	2810.00.797.01 - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरण	2500.00	1675.00	825.00	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को कम अंतरण के कारण।
113.	3435.04.101.08 - राष्ट्रीय गंगा योजना	2150.00	1440.50	709.50	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांगों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 97 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
114.	2235.02.102.42-अम्ब्रेला आईसीडीएस	379.58	131.75	247.83	राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु-गृह योजना की पुनर्संरचना, संशोधित राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना हेतु सहमत प्राधिकारी की गैर-स्वीकृति तथा कम बैठकों/कार्यशालाओं के आयोजन के कारण।
115.	2235.02.103.72 -निर्भया योजना	286.27	41.09	245.18	महिला हैल्पलाइन तथा वन स्टैप सेंटर योजना की पुनर्संरचना, निर्भया योजना पर मंत्रालयों को अनुपूरक के आबंटन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा अनुदेशों को जारी न किए जाने के कारण, इसके अप्रयुक्त रहने के कारण।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ से अधिक की बचत

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय /विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
रक्षा सेवाएं					
अनुदान सं. 22 -रक्षा सेवाएं (राजस्व)					
116.	2076.00.103 - वेतन एवं भत्ते और सहायक बलों के विविध व्यय	1840.46	1255.05	585.41	7 वीं केंद्रीय वेतन आयोग के गैर-कार्यान्वयन के कारण
117.	2076.00.105 -परिवहन	4054.25	3428.02	626.23	ई-टिकट के लिए रेलवे द्वारा प्रभारित प्रभारों की कमी के कारण
118.	2077.00.104 -सिविलियन के वेतन एवं भत्ते	2512.87	2173.45	339.42	7 वीं केंद्रीय वेतन आयोग के आंशिक कार्यान्वयन के कारण
119.	2078.00.105 -परिवहन	1047.42	762.75	284.67	आर्थिक और मितव्ययिता उपायों के सख्त कार्यान्वयन के साथ-साथ 7 वीं केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी और ई-टिकटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन
अनुदान सं. 23 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय					
120.	4076.01.102 - भारी और मध्यम वाहन	3411.72	2359.86	1051.86	प्रमुख पूंजीगत खरीद और पूंजीगत बुकिंग में राजस्व प्रापण दोनों नई योजनाओं में प्रस्तावों के अनुमोदन नहीं होने के कारण।
121.	4076.02.101 - एयरक्राफ्ट एवं एयरो-इंजन	3805.00	2974.06	830.94	तकनीकी आधार पर मिग 29 के स्वीकृति में कमी और देरी के कारण।
122.	4076.02.104 - संयुक्त कर्मचारी	958.59	799.60	158.99	अतिरिक्त महानिदेशालय सिग्नल इंटेलेजेंस के संबंध में कमान के स्ट्रैटेजिक फोर्स और सिग्नल इंटेलेजेंस प्रोजेक्ट की सामरिक परियोजनाओं की धीमी प्रगति के चलते
123.	4076.02.204 -नौसेना का बेड़ा	12467.00	9877.71	2589.29	वितरण कार्यक्रम और प्रमुख जहाज निर्माण अनुबंधों के अनुबंध माइलस्टोन्स में गिरावट के कारण।
124.	4076.03. 103 -अन्य उपकरण	9595.22	8612.38	982.84	प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए कम आबंटन के कारण और एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एवं ई-रखरखाव प्रबंधन प्रणाली योजनाओं के आधुनिकीकरण के अंतर्गत वितरण अवधि के लिए अनुबंध में संशोधन के कारण और नई जेनरेशन बंद कॉम्बैट मिसाइलों के साथ-साथ मिराज -2000 के उन्नयन विमान के अंतर्गत एयर टू एयर मिसाइल के विलंब के कारण।

अनुबंध 3.14

(पैराग्राफ 3.17 के संदर्भ में)

उप-शीर्षों के अंतर्गत सतत बचत दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट	वास्तविक व्यय	बचत	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
			प्रावधान	(₹ करोड़ में)		
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग						
1.	2415.01.150.03 - कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति बोर्ड सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन एवं कृषि में सूचना और प्रकाशन का निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन	2014-15	530.30	284.11	246.19	46
		2015-16	452.27	285.65	166.62	37
		2016-17	545.21	319.21	226.00	41
दूरसंचार विभाग						
2.	2071.01.102.01-साधारण पेंशन	2014-15	989.11	792.45	196.66	20
		2015-16	911.32	781.40	129.92	14
		2016-17	1095.00	804.18	290.82	27
विदेश मंत्रालय						
3.	3605.00.101.14- म्यांमार को सहायता	2014-15	330.00	104.34	225.66	68
		2015-16	270.00	117.07	152.93	57
		2016-17	400.00	123.62	276.38	69
आर्थिक कार्य विभाग						
4.	7475.00.800.10 - ऋण के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	2014-15	2972.08	2427.59	544.59	18
		2015-16	1486.04	692.60	793.44	53
		2016-17	1486.04	--	1486.04	100
वित्तीय सेवा विभाग						
5.	5465.01.797.01 - राष्ट्रीय निवेश कोष	2014-15	11200.00	1253.30	9946.70	89
		2015-16	7940.00	--	7940.00	100
		2016-17	4625.00	94.98	4530.02	98
विनियोग - ब्याज भुगतान						
6.	2048.00.200.13 - सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद पर प्रीमियम का भुगतान	2014-15	1000.00	--	1000.00	100
		2015-16	1000.00	38.22	961.78	96
		2016-17	1000.00	593.42	406.58	41
7.	2049.01.115 - भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापाय अग्रिम पर ब्याज	2014-15	800.00	433.57	366.43	46
		2015-16	500.00	74.28	425.72	85
		2016-17	500.00	111.99	388.01	78
8.	2049.01.128 - नकद प्रबंधन बिल	2014-15	1500.00	93.57	1406.43	94
		2015-16	1000.00	--	1000.00	100
		2016-17	1000.00	--	1000.00	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

विनियोग - कर्ज का पुर्नभुगतान						
9.	6001.00.114 - भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	2014-15	500000.00	316116.00	183884.00	37
		2015-16	500000.00	83843.00	416157.00	83
		2016-17	500000.00	163489.00	336511.00	67
10.	6001.00.127 - नकद प्रबंधन बिल	2014-15	100000.00	10000.00	90000.00	90
		2015-16	100000.00	--	100000.00	100
		2016-17	100000.00	--	100000.00	100
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
11.	2210.06.001.09 - संक्रामक रोगों के लिए फ्लैक्सी पूल	2014-15	1661.49	1128.47	533.02	32
		2015-16	1167.51	972.65	194.86	17
		2016-17	1423.92	1219.63	204.29	14
विद्युत मंत्रालय						
12.	4801.02.190.02 - भारत के राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम	2014-15	915.00	73.74	841.26	92
		2015-16	993.00	76.83	916.17	92
		2016-17	232.50	45.66	186.84	80
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
13.	3601.02.105.01 - राज्य सड़क के लिए अनुदान	2014-15	2607.06	2064.75	542.31	21
		2015-16	2868.00	2363.87	504.13	18
		2016-17	10833.00	5025.63	5807.37	54
पर्यटन मंत्रालय						
14.	3452.80.104.01 - प्रत्यक्ष व्यय	2014-15	446.20	279.79	166.41	37
		2015-16	457.20	296.68	160.52	35
		2016-17	398.00	271.09	126.91	32
शहरी विकास मंत्रालय						
15.	4216.01.106.03 - शहरी विकास निर्माण कार्य	2014-15	609.00	499.89	109.11	18
		2015-16	720.01	534.66	185.35	26
		2016-17	630.00	499.63	130.37	21

अनुबंध 4.1

(पैराग्राफ 4.4.1 एवं 4.5.2 के संदर्भ में)

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 में समाहित विषय शीर्ष तथा उनका विवरण

विषय शीर्ष	विवरण
विषय वर्ग 1 (कार्मिक सेवा एवं लाभ)	
01- वेतन	इसमें यात्रा खर्चों (अवकाश यात्रा रियायत के अलावा) के अतिरिक्त मानदेय तथा अवकाश नकदीकरण सहित कार्मिकों के सभी प्रकार के वेतन तथा भत्ते शामिल होंगे। यह विषय शीर्ष वर्गीकरण व्यय भत्तों सहित राज्यों के प्रमुखों और अन्य उच्चाधिकारियों के सत्कार भत्तों तथा परिलाभ पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
02- मजदूरी	इसमें वर्तमान में आकस्मिकता से देय कर्मियों एवं श्रमिकों की मजदूरी शामिल होगी।
03- समयोपरि भत्ता	राशि का भुगतान अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उनके कार्य दिवस के अतिरिक्त कार्यालयी समय के बाद कार्यालयी कार्य संपन्न करने हेतु किया जाएगा।
04- पेंशन संबंधी प्रभार	इसमें सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के पेंशन के भुगतान एवं सभी प्रकार की ग्रेच्युटी के अलावा सर्विस निधि अनुदान एवं अंशदायी भविष्य निधि शामिल होगा। तथापि, इसमें सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि शामिल नहीं होगा।
05- पारितोषिक	इसमें सरकारी कर्मचारियों को केवल मंत्रालय/विभाग में परिचालित होनेवाली योजनानुसार प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
06- चिकित्सकीय उपचार	इसमें सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
विषय वर्ग 2 (प्रशासनिक व्यय)	
11- घरेलू यात्रा व्यय	इसमें परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित भारत में की गई इयूटी के लिए यात्रा के प्रति किया गया सभी प्रकार का खर्च, परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित शामिल होगा लेकिन छुट्टी यात्रा रियायत को छोड़कर जो कि वेतन का भाग होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों को भारत में यात्रा के प्रति टीए/डीए भी शामिल होंगे।
12- विदेशी यात्रा व्यय	इसमें वैज्ञानिकों की विदेशी प्रतिनियुक्ति सहित; भारत से बाहर की इयूटी यात्रा दौरे, पर किए जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत से बाहर किए जाने दौरे पर टीए/डीए पर व्यय भी शामिल होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
13- कार्यालयी व्यय	इसमें कार्यालय संचालन के लिए किए जाने वाले वाली सभी आकस्मिक खर्चे शामिल होंगे जैसे कि फर्नीचर, डाक, कार्यालयी मशीनों एवं उपकरणों का अनुरक्षण एवं खरीद, वर्दियां सर्द और गर्म मौसम प्रभारें (आकस्मिक निधि से कर्मचारियों को किए भुगतान को छोड़कर), टेलीफोन, विद्युत और जल प्रभारें, लेखन-सामग्री, फार्मों की छपाई, कार्यालयी उद्देश्य के लिए स्टाफ कार एवं अन्य वाहनों जैसे - एम्बुलेंस, वैन इत्यादि की खरीद एवं अनुरक्षण। इसमें कार्यालयी उपयोग के लिए गाड़ियों पर किए जाने वाला पीओएल व्यय भी शामिल होगा।
14- किराया, दरें एवं कर	इसमें किराए पर लिए गए भवनों के किराये, निगम दरें एवं करों आदि का भुगतान शामिल होगा। इसमें भूमि का पट्टा प्रभार भी शामिल होगा।
15- रॉयल्टी	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
16- प्रकाशन	इसमें कार्यालयी कोड, मैनुअलों एवं अन्य दस्तावेजों के छपाई पर हुए व्यय शामिल होंगे चाहे वे मूल्यांकित हो या अमूल्यांकित, लेकिन प्रचार सामग्री की छपाई पर व्यय शामिल नहीं होगा। इसमें प्रकाशन की बिक्री पर एजेंटों को दिए जाने वाली छूट भी शामिल होंगी।
20- अन्य प्रशासनिक खर्चे	इसमें विभागीय कैंटीन, आवभगत/मनोरंजन खर्चे, उपहार तथा किए गए दौरों पर व्यय, सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 3 (संविदात्मक सर्विसिंग एवं आपूर्तियाँ)	
21- आपूर्तियां तथा सामग्रियां	इसमें सामग्रियों तथा आपूर्तियों, भण्डार तथा उपकरण आदि पर व्यय शामिल होगा।
22- आयुध और गोला बारूद	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं को आयुध और गोला बारूद पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
23- राशन की लागत	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं के राशन पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
24- पीओएल	इसमें पुलिस एवं अन्य अर्द्ध सैनिक वाहनों के पीओएल पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए परिवहन वाहनों के पीओएल पर किए जाने वाले व्यय शामिल होगा, लेकिन उनको छोड़कर जो कार्यालय चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
25- कपड़ा और तंबू	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक के कपड़े और तंबू पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
26- विज्ञापन एवं प्रचार	इसमें प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं बिक्री के लिए एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन शामिल होगा। इसमें मेलों व प्रदर्शनियों पर व्यय भी शामिल होगा।
27- लघु निर्माण कार्य	इसमें निर्माण कार्य, मशीनरी तथा उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय दर्ज होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
28- व्यवसायिक सेवाएं	इसमें कानूनी सेवाओं की प्रभार, परामर्श शुल्क, स्टाफ कलाकारों को शुल्क, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों, निरीक्षकों आदि को पारिश्रमिक, आकाशवाणी, दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक कलाकारों को पारिश्रमिक तथा अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक के प्रभार शामिल होंगे। इसमें दी गई सेवाओं, अन्य विभागों जैसे रेलवे, पुलिस आदि द्वारा की गई आपूर्तियों के भुगतान शामिल होंगे, की गई आपूर्तियों तथा एक कार्यालय को चलाने के लिए की गई सेवाओं को पृथक करते हुए उन मामलों में व्यय, खर्च के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
30- अन्य संविदात्मक सेवाएं	इसमें सेवा या प्रतिबद्धता प्रभारों तथा प्राप्त उपहारों के सैद्धांतिक मूल्य आदि पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 4 (अनुदान, इत्यादि)	
31- सहायता अनुदान-सामान्य	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
32- अंशदान	इसमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय शामिल होगा।
33- आर्थिक सहायता	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
34- छात्रवृत्ति/वृत्तिका	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
36- सहायता अनुदान-वेतन	इसमें वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
विषय वर्ग 5 (अन्य व्यय)	
41- गुप्त सेवा व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
42- एकमुश्त प्रावधान	इसमें योजनाओं/उप-योजनाओं/संगठनों जहाँ प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हो, के संबंध में व्यय शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों में, व्यय के अन्य विषयों का अलग-अलग ब्यौरा भी दिया जाएगा।
43- उंचंत	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
44- विनिमय विभिन्नता	विदेशी स्रोतों से ऋण/अग्रिम की प्राप्ति तथा उसके पुनर्भुगतान के समय विनिमय की दर में विभिन्नता को संबंधित सर्विस व्यय शीर्ष के अंतर्गत इस विषय शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
45- ब्याज	इसमें पूंजी पर ब्याज तथा ऋणों पर छूट शामिल होंगी।
46- केन्द्र राज्य संसाधनों का अंतरण	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।

विषय शीर्ष	विवरण
50- अन्य प्रभार	इसमें विवेकाधिकार अनुदानों में से भुगतान शामिल होगा। अन्य छूटें, उत्पाद शुल्क क्षतिपूर्ति, इनाम तथा पुरस्कार आदि तथा अन्य व्यय जो इन विशिष्ट विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, वे इस शीर्ष में डेबिट किए जाएंगे।
विषय वर्ग 6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण और अन्य पूंजीगत व्यय)	
51- मोटर परिवहन	कार्यालय को चलाने के लिए प्रयोग में आने वाले वाहनों से अलग कार्यात्मक गतिविधियों (जैसे-एम्बुलेंस वैन) के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवहन वाहनों का खरीद एवं अनुरक्षण शामिल।
52- मशीनरी तथा उपकरण	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर मशीनरी उपकरण औजार आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित विशेष औजार तथा संयंत्र शामिल होंगे।
53- मुख्य निर्माण कार्य	इसमें भूमि के अधिग्रहण ढाचों की लागत भी शामिल होगी।
54- निवेश	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
55- ऋण तथा अग्रिम	इसमें अन्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों आदि को दिए गए सभी ऋण तथा अग्रिम शामिल होंगे।
56- उधारों का पुनर्भुगतान	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
60- अन्य पूंजीगत व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
विषय वर्ग 7 (लेखा समायोजन)	
61- मूल्यहास	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
62- आरक्षित	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
63- अंतः खाता अंतरण	इसमें आरक्षित निधि से तथा अंतरण इत्यादि को, पूंजी से राजस्व को वापस लिखना शामिल होगा।
64- बड़े खाते/हानियां	इसमें बड़े खाते में डाली गई अवसूली योग्य ऋण, हानियां, व्यापारिक हानियां शामिल होंगी।
70- वसूलियां कटौती	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

अनुबंध 4.2

(पैराग्राफ 4.14.2 के संदर्भ में)

योजनागत निधि का गैर-योजनागत व्यय के लिए विपथन

क्र. सं.	वाउ. सं.	तिथि	राशि (₹ वास्तविक में)	विवरण	के अंतर्गत वर्गीकृत	के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था	टिप्पणी
1	वी1022	26-08-2016	47250.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय को लेखन-सामग्री की आपूर्ति
2	वी1032	26-08-2016	6210.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	नेम प्लेट, रबर स्टाम्प, विजिटिंग कार्ड के लिए भुगतान
3	वी1041	26-08-2016	88375.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में प्रतिष्ठापित विंडो, स्पिलिट, टावर एसी के एएमसी के लिए भुगतान
4	वी105	25-04-2016	161913.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090549913	एचपी डेस्कटॉप कम्प्यूटर की खरीद
5	वी1088	01-09-2016	7500.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090549913	संयुक्त सचिव (एमडीडब्ल्यूएस) के आवास में प्रिंटर की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन
6	वी1100	05-09-2016	13016.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय यूएस (एसबीएम-I एवं II) को नये पर्दे की आपूर्ति हेतु भुगतान
7	वी1108	06-09-2016	4725.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय सचिव सम्मेलन कक्ष के लिए पैनासोनिक कोर्डलेस फोन की आपूर्ति हेतु भुगतान
8	वी1110	06-09-2016	51882.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में विद्युत सामग्री की आपूर्ति एवं मरम्मत हेतु भुगतान
9	वी1111	06-09-2016	654549.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	अनुचरों/सलाहकारों (सेवानिवृत्त व्यक्तियों) को पारिश्रमिक एवं परिवहन हेतु भुगतान
10	वी1134	08-09-2016	41478.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	सामा. अनुभाग, डब्ल्यू-1, एसबीएम-II, संसद अनुभाग तथा अन्य अनुभागों में प्रतिष्ठापित फोटोकॉपी मशीन हेतु भुगतान
11	वी1147	08-09-2016	20423.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एमडीडब्ल्यूएस में विद्युत सामग्री की आपूर्ति एवं मरम्मत हेतु भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

12	वी1164	09-09-2016	5000.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	श्री निरंजन चौधरी, डीएस (एसबीएम) को ब्रीफकेश/बैग की खरीद के लिए प्रतिपूर्ति
13	वी1165	09-09-2016	285705.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रियों (मासिक आधार पर), ओएसडी, जेएस तथा प्रोटोकॉल कार्यों हेतु टैक्सी के किरायों का भुगतान
14	वी1170	09-09-2016	8523.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्यालय एमओएस (डीडब्ल्यूएस) में उपयोग हेतु विद्युत सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
15	वी1179	15-09-2016	22500.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय जेएस, एसबीएम में कृत्रिम प्लांट की आपूर्ति
16	वी1188	16-09-2016	12277.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग हेतु गैर-लेखन सामग्रियों (ग्लास, एयर फ्रेशनर, राष्ट्रीय झंडा, आदि.) की आपूर्ति हेतु भुगतान
17	वी1197	16-09-2016	4211.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कमरा सं.- 806 तथा मंत्रालय के यूएस (ए) में तीन एसी की स्थापना हेतु भुगतान
18	वी1225	21-09-2016	4950.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एसओ को कार्यालय कुर्सी उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
19	वी1229	21-09-2016	91096.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्यालय एमओएस कृषि भवन में दो स्प्लिट एसी की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु भुगतान
20	वी1230	21-09-2016	761370.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	माह अगस्त 2016 के लिए मंत्रालय को परिचारकों, स्वीपर्स तथा वाच एवं वाई सर्विसिंग उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
21	वी1235	21-09-2016	30600.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय ओएसडी (डीडब्ल्यूएस) में लकड़ी की दीवार रैक आपूर्ति हेतु भुगतान
22	वी1236	21-09-2016	42075.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय जेएस (एसबीएम) में चार कुर्सीयां उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
23	वी1245	21-09-2016	9302.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमडीडब्ल्यूएस में उपयोग हेतु लेखन-सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

24	वी1255	22-09-2016	114404.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आवश्यकता आधार पर एवं मासिक आधार पर वाहनों को किराये पर लिये जाने हेतु भुगतान
25	वी1256	22-09-2016	32870.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में विद्युत सामग्री की आपूर्ति एवं मरम्मत हेतु भुगतान
26	वी1276	26-09-2016	8721.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में विद्युत उपकरण की आपूर्ति/मरम्मत हेतु भुगतान
27	वी1301	27-09-2016	22391.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	लेखन सामग्रियों (लिफाफा, कार्ड बोर्ड एवं स्पायरल पैड) की आपूर्ति हेतु भुगतान
28	वी1316	28-09-2016	11250.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	फ्लेक्स बैनर एवं हिन्दी पखवाड़ा के लिए प्रमाणपत्र की आपूर्ति हेतु भुगतान
29	वी1317	28-09-2016	27061.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न फ्लोरो पर विविध विद्युत तथा फॉल्स सिलिंग कार्यों के क्रिया गया भुगतान
30	वी1319	28-09-2016	1600.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एमओएस कार्यालय कृषि भवन में विंडो एसी की स्थापना एवं विघटित करने के लिए भुगतान
31	वी1321	29-09-2016	52847.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमओएस (डीडब्ल्यूएस) के लिए फोटोकॉपी रिकोह एमपीसी3003एसपी टोनर के टोनर कार्टिज की आपूर्ति
32	वी1326	29-09-2016	253628.00	विज्ञापन एवं प्रचार	221501102190826	345100090540013	विज्ञान भवन में ग्रामीण-शहरी आईएनडीओएसएन में शामिल होने हेतु फूलों की व्यवस्था हेतु उप निदेशक, सीपीडब्ल्यूडी, बागवानी मंडल, को भुगतान
33	वी1330	30-09-2016	2964654.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	डीईओज एवं कार्यालय सहायक को 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया गया।
34	वी1340	04-10-2016	160630.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	अगस्त 2016 के दौरान मंत्रालय, कार्यालय एमआरडी (डीडब्ल्यूएस/पीआर/आरड) तथा कार्यालय ओएसडी

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

							(डीडब्ल्यूएस) में विदेशी फूलों की आपूर्ति हेतु भुगतान
35	वी1355	07-10-2016	13669.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमडीडब्ल्यूएस में गैर-लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
36	वी1364	07-10-2016	53132.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्यालय अपर सचिव तथा समिति कक्ष में ट्यूबलाइट, एमसीबी एवं एलईडी पेनल लाइटिंग हेतु भुगतान
37	वी1365	07-10-2016	8370.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	विभिन्न अधिकारियों के इंकिंग स्टाम्प एवं विजिटिंग कार्ड हेतु भुगतान
38	वी1390	13-10-2016	112200.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एयूआई के माध्यम से लगे हुए आकस्मिक झाड़वों को वेतन, परिवहन तथा ओटीए का भुगतान
39	वी1402	14-10-2016	51974.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	सीमित निविदा पृछताछ के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी क्रिकेट टूर्नामेंट 2016-17 के लिए क्रिकेट एसेसरीज की आपूर्ति हेतु भुगतान
40	वी1413	18-10-2016	10000.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	श्री नवीन कुमार, एसओ (कोऑर्डि.) को अंतर मंत्रालयी क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित विविध व्यय करने हेतु अग्रिम
41	वी1504	28-10-2016	24092.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीबीएम 1892 की सर्विसिंग के लिए भुगतान
42	वी1505	28-10-2016	11416.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीबीवी 9526 की सर्विसिंग के लिए भुगतान
43	वी1510	28-10-2016	5513.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	डीडीजी के पीए को कुर्सी की आपूर्ति हेतु भुगतान
44	वी1535	03-11-2016	40793.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एमओईएफ द्वारा अभ्यर्पित नये कमरे में सभी फर्नीचर की पोलिश हेतु भुगतान
45	वी1536	03-11-2016	35640.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एमओईएफ द्वारा अभ्यर्पित नये कमरे में लकड़ी की पैन्लिंग हेतु भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

46	वी1544	03-11-2016	1140.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय में उपयोग हेतु पेन-ड्राईव की खरीद
47	वी1545	03-11-2016	5715.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में लेखन-सामग्री की आपूर्ति
48	वी1546	03-11-2016	4221.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के लिए कार्टिज की आपूर्ति
49	वी1547	03-11-2016	9057.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमडीडब्ल्यूएस में गैर-लेखन सामग्री की आपूर्ति
50	वी1556	03-11-2016	1443.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के अधिकारियों को समाचारपत्रों की प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान
51	वी1596	09-11-2016	8982.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीबीएम 2082 की सर्विसिंग के लिए भुगतान
52	वी160	28-04-2016	37313.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	संसद कार्य की समाप्ति के लिए देर तक बैठे कर्मचारियों के लिए अल्प-आहार एवं रात्री भोजन हेतु भुगतान
53	वी1623	11-11-2016	3494.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	दो जोडे केबल एंड पीवीसी चैनल की आपूर्ति हेतु भुगतान
54	वी1659	24-11-2016	63207.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एमओएस (डीडब्ल्यूएस) के कार्यालय में फर्निचर की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापना हेतु भुगतान
55	वी1685	25-11-2016	29895.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एयूआई के माध्यम से लगे हुए आकस्मिक झाड़वों को वेतन, परिवहन तथा ओटीए का भुगतान
56	वी1709	28-11-2016	4641.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार की मरम्मत हेतु भुगतान
57	वी1710	28-11-2016	2171.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	पेट्रोल के लिए भुगतान की प्रतिपूर्ति
58	वी1716	29-11-2016	16315.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग के लिए गैर-लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
59	वी1747	02-12-2016	21664.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में ट्यूबलाईट, एलईडी, पंखा, आदि, की आपूर्ति हेतु भुगतान
60	वी1756	02-12-2016	20262.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीएजे 5425 की मरम्मत हेतु भुगतान
61	वी1761	06-12-2016	174800.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	पेट्रोल, डीजल, तेल एवं लुब्रिकेंट की आपूर्ति हेतु भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

62	वी1794	09-12-2016	673806.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में कार्य करने हेतु लगे हुए सेवानिवृत्त व्यक्तियों के मासिक पारिश्रमिक का भुगतान
63	वी1798	09-12-2016	130933.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के समिति कक्ष के नवीनीकरण हेतु भुगतान
64	वी1807	16-12-2016	20735.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. - डीएल3सीसीसी 7558 की सर्विसिंग/मरम्मत हेतु भुगतान
65	वी1809	16-12-2016	15016.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	मंत्रालय के अधिकारियों को आतिथ्य सुविधा हेतु भुगतान
66	वी1823	19-12-2016	183334.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	पेट्रोल, डीजल, तेल एवं लुब्रिकेंट की आपूर्ति हेतु भुगतान
67	वी1846	22-12-2016	14362.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग के लिए लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
68	वी1858	22-12-2016	5775.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग के लिए लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
69	वी1859	22-12-2016	12740.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग के लिए लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
70	वी1867	26-12-2016	9900.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	अपर सचिव के कार्यालय में 15 लि. के गीजर की आपूर्ति हेतु भुगतान
71	वी1882	28-12-2016	4000.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	श्री योगेश कुमार, एसओ द्वारा ब्रीफकेश/बैग की खरीद हेतु प्रतिपूर्ति
72	वी1894	29-12-2016	30538.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार के टायरों को बदलवाने हेतु भुगतान
73	वी1946	05-01-2017	272624.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालयों, एमओएस के पीएस, ओएसडी, निदेशक, सामान्य अनुभाग (मासिक आधार पर) तथा प्रोटोकॉल इयूटी के लिए टैक्सी को किराये पर लेने हेतु भुगतान
74	वी1952	05-01-2017	13065.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग होनेवाले अधिकारियों के तौलिये, कार तौलिये तथा सीट कवर की धुलाई हेतु भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

75	वी1965	16-01-2017	40000.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आईएसओ 9001:2008 हेतु 1 ^{री} निगरानी प्रभारों हेतु भुगतान
76	वी2007	18-01-2017	111285.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मासिक आधार पर मंत्रालयों के लिए/दैनिक आधार पर निदेशक के लिए तथा प्रोटोकॉल ड्यूटी पर वाहनों को किराये पर लेने हेतु भुगतान
77	वी2038	20-01-2017	5513.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	निदेशक (एसबीएम) के पीएस को कुर्सी उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
78	वी2051	24-01-2017	12416.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
79	वी2053	24-01-2017	16525.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग होनेवाले अधिकारियों के तौलिये, कार तौलिये तथा सीट कवर की धुलाई हेतु भुगतान
80	वी2055	24-01-2017	22560.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आकस्मिक ड्राईवर्स को वेतन, ओटीए तथा परिवहन हेतु भुगतान
81	वी2060	24-01-2017	22050.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पुस्तकों की खरीद हेतु भुगतान
82	वी2065	24-01-2017	70510.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आकस्मिक ड्राईवर्स को वेतन, ओटीए तथा परिवहन हेतु भुगतान
83	वी2069	24-01-2017	42066.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय मंत्रालय में फर्नीचर की मरम्मत एवं गृह-सामग्री हेतु भुगतान
84	वी2070	24-01-2017	64800.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	संसद कार्य की समाप्ति के लिए देर तक बैठे कर्मचारियों के अल्प-आहार हेतु भुगतान
85	वी2079	24-01-2017	11467.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. - 5425 के रेडियेटर के प्रतिस्थापन हेतु भुगतान
86	वी2149	31-01-2017	38597.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालयों के लिए लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
87	वी2154	31-01-2017	17185.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आकस्मिक ड्राईवर्स को वेतन, परिवहन तथा ओटीए हेतु भुगतान
88	वी2174	02-02-2017	97650.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय सचिव में उच्च गुणवत्ता ब्लाईड की आपूर्ति हेतु भुगतान
89	वी2178	02-02-2017	7091.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

90	वी2185	03-02-2017	30573.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	सामान्य अनुभाग, डब्ल्यू-1, एसबीएम-II, संसद अनुभाग एवं अन्य अनुभागों में स्थापित फोटोकॉपी मशीन हेतु भुगतान
91	वी2186	03-02-2017	51525.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय डीडीजी में सोफा सेट एवं कुर्सियों की आपूर्ति हेतु भुगतान
92	वी2187	03-02-2017	72000.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में लगाने के लिए प्रधानमंत्री के 60 फोटो फ्रेम उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
93	वी2215	09-02-2017	92700.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	सचिव के विंग में तेल हीटरों की आपूर्ति हेतु भुगतान
94	वी2241	10-02-2017	1000.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	हिन्दी पर वर्कशॉप के लिए अतिथि व्याख्याता को मानदेय का भुगतान
95	वी2250	10-02-2017	29890.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्टिज की आपूर्ति हेतु भुगतान
96	वी226	16-05-2016	116930.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पौधों, फूल गमला तथा गुलदस्तों की आपूर्ति हेतु भुगतान
97	वी2267	13-02-2017	192584.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	पीओएल की आपूर्ति हेतु भुगतान
98	वी2285	20-02-2017	4859.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीएजे 5426 की मरम्मत हेतु भुगतान
99	वी2287	20-02-2017	5850.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	श्रीमती नेहा चौहान, सहा. निदेशक (डीडब्ल्यूएस) के लिए रिवोल्विंग कुर्सी की आपूर्ति हेतु भुगतान
100	वी2304	21-02-2017	8500.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	बैग/ब्रीफकेस हेतु प्रतिपूर्ति
101	वी2313	21-02-2017	3681.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	अधिकारियों के आवास पर सामाचारपत्रों की खरीद हेतु भुगतान
102	वी2317	22-02-2017	65813.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में तेल हीटरों की आपूर्ति हेतु भुगतान
103	वी2357	27-02-2017	4925.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एसी के स्थानांतरण हेतु भुगतान
104	वी2379	01-03-2017	9000.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के ओएसडी तथा डीएस के लिए लकड़ी के फर्नीचर की आपूर्ति हेतु भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

105	वी2406	10-03-2017	3990.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के लिए लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
106	वी2407	10-03-2017	14008.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के लिए गैर लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
107	वी2412	16-03-2017	16155.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार डीएल3सीबीएम 1892 की सर्विसिंग हेतु भुगतान
108	वी2422	18-03-2017	665072.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में कार्य हेतु लगे सेवानिवृत्त व्यक्तियों को मासिक पारिश्रमिक एवं परिवहन का भुगतान
109	वी2427	18-03-2017	123280.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एयूआई के माध्यम से लगे हुए आकस्मिक ड्राइवरों को वेतन, परिवहन, ओटीए का भुगतान
110	वी2431	18-03-2017	35216.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए किराये पर लिये वाहनों हेतु भुगतान
111	वी2459	22-03-2017	180281.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पेट्रोल, डीजल, तेल तथा लुब्रिकेंट की आपूर्ति हेतु भुगतान
112	वी2467	22-03-2017	21459.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	स्टाफ कार डीएल3सीएजे 5426 की सर्विसिंग हेतु भुगतान
113	वी247	17-05-2016	6000.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय को बोटलों की आपूर्ति हेतु प्रतिपूर्ति
114	वी2473	22-03-2017	3464.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एसी के स्थानांतरण हेतु भुगतान
115	वी2485	23-03-2017	20662.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	स्टाफ कार डीएल3सीएजे 5425 की सर्विसिंग हेतु भुगतान
116	वी2486	23-03-2017	14006.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एसबीएम-II में एसी की मरम्मत हेतु भुगतान
117	वी2522	25-03-2017	29134.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	फर्नीचर के मरम्मत/ड्राई-क्लनिंग हेतु भुगतान
118	वी2524	25-03-2017	2853.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	स्टाफ कार डीएल 3सीएजे 5426 की मरम्मत हेतु भुगतान
119	वी261	18-05-2016	111235.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एयूआई के माध्यम से लगे हुए आकस्मिक ड्राइवरों को वेतन, परिवहन, ओटीए का भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

120	वी2625	31-03-2017	37200.00	अन्य प्रभार	221501102191250	345100090540013	एसी की खरीद हेतु भुगतान
121	वी2628	31-03-2017	8400.00	अन्य प्रभार	221501102191250	345100090540013	जीएस (डब्ल्यू एवं ए) के पीएस के लिए प्रिंटर की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन का भुगतान
122	वी2646	31-03-2017	281900.00	अन्य प्रभार	221501102191250	345100090540013	एलईडी टीवी की आपूर्ति हेतु भुगतान
123	वी2647	31-03-2017	56000.00	अन्य प्रभार	221501102191250	345100090549913	कम्प्यूटर की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु भुगतान
124	वी325	25-05-2016	181069.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्यालय एमआरडी (डीडब्ल्यूएस) के लिए फर्नीचर सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
125	वी328	25-05-2016	6295.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों को आतिथ्य सुविधाओं हेतु भुगतान
126	वी368	02-06-2016	18684.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय वाहन के एसी असेम्बली की मरम्मत हेतु भुगतान
127	वी369	02-06-2016	7500.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	ब्रीफकेस/कार्यालय बैग हेतु प्रतिपूर्ति
128	वी384	02-06-2016	4331.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमडीडब्ल्यूएस में क्रॉकरी सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
129	वी397	03-06-2016	10815.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों को आतिथ्य सुविधाओं हेतु भुगतान
130	वी474	14-06-2016	6720.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कार्यालय एमओएस (डीडब्ल्यूएस) में पानी की बोतल की आपूर्ति हेतु भुगतान
131	वी497	15-06-2016	11250.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	कीट और कृतक नियंत्रण हेतु भुगतान
132	वी587	29-06-2016	3605.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	सर्विसिंग नियमावली पुस्तिका की आपूर्ति हेतु भुगतान
133	वी672	08-07-2016	24119.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	कार्यालय ओएसडी, जेएस, ईए, अपर सचिव आदि में विद्युत सामग्री की आपूर्ति मरम्मत हेतु भुगतान
134	वी689	13-07-2016	307479.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आवश्यकता के आधार पर तथा मासिक आधार पर वाहनों को किराये पर लिये जाने हेतु भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

135	वी695	13-07-2016	19063.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	निदेशक, जेएस, एसओ, सचिव के कार्यालय तथा अन्य कमरों में विद्युत सामग्री के आपूर्ति/मरम्मत हेतु भुगतान
136	वी702	13-07-2016	641628.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय को एमटीएस उपलब्ध कराने हेतु भुगतान
137	वी708	14-07-2016	21659.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए वाहनों को किराये पर लेने हेतु भुगतान
138	वी729	18-07-2016	28688.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में पेडेस्टल पंखा की आपूर्ति हेतु भुगतान
139	वी731	18-07-2016	3069.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के अधिकारियों के आवास पर समाचारपत्रों की खरीद हेतु प्रतिपूर्ति
140	वी747	20-07-2016	4900.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	ब्रीफकेश/कार्यालय बैग हेतु प्रतिपूर्ति
141	वी763	20-07-2016	109995.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एय्यूआई के माध्यम से लगे हुए आकस्मिक ड्राईवर्स को वेतन, परिवहन, ओटीए का भुगतान
142	वी774	21-07-2016	144370.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में विदेशी फूलों की आपूर्ति हेतु भुगतान
143	वी80	21-04-2016	5635.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आकस्मिक ड्राईवर्स को वेतन, परिवहन, ओटीए का भुगतान
144	वी805	25-07-2016	22500.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में विनाईल फ्लोरिंग के लिए भुगतान
145	वी807	25-07-2016	45900.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय में विजिटर कुर्सी की आपूर्ति हेतु भुगतान
146	वी815	25-07-2016	2964654.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	3 महीनों के लिए कार्यालय सहायक एवं डीईओ उपलब्ध कराने हेतु 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान
147	वी834	28-07-2016	5250.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पूर्ववर्ती एमटीएस के लिए सर्दी की वर्दी हेतु भुगतान
148	वी865	04-08-2016	48000.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	श्री एसएच जैदी, सहायक सलाहकार को रिटेनरशिप का भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

149	वी881	05-08-2016	79223.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	केटीएस, एमडीएफ बॉक्स आदि के साथ दूरभाष प्रणाली की आपूर्ति, केबलिंग तथा स्थापना हेतु भुगतान
150	वी882	05-08-2016	3762.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के वाहनों की मरम्मत
151	वी890	08-08-2016	14850.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	वॉल पंखों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु भुगतान
152	वी894	09-08-2016	6500.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	ब्रीफकेश/कार्यालय बैग हेतु प्रतिपूर्ति
153	वी905	10-08-2016	22526.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों को आतिथ्य सुविधा हेतु भुगतान
154	वी909	11-08-2016	29700.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पर्यावरण भवन के 8वें एवं 9वें तल में फॉल्स सिलिंग फिक्स करने हेतु भुगतान
155	वी910	11-08-2016	20503.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एसओ (कोऑर्डि.) के कार्यालय में लकड़ी के कपबोर्ड हेतु भुगतान
156	वी945	17-08-2016	10547.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में उपयोग हेतु डस्ट पैन की आपूर्ति हेतु भुगतान
157	वी958	19-08-2016	7975.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध करायी गयी डिश टीवी के रिचार्ज हेतु प्रतिपूर्ति
158	वी983	19-08-2016	10720.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	मंत्रालय के वर्ग 'ग' कर्मचारियों (पूर्ववर्ती वर्ग 'घ') को गर्मी की वर्दी की आपूर्ति हेतु एजेंसी को भुगतान
159	वी997	24-08-2016	14673.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में विद्युत सामग्री की आपूर्ति एवं मरम्मत हेतु भुगतान
160	वी1082	01-09-2016	1208.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एसएसएवंएफए के डीओ लेटर हेड की आपूर्ति
161	वी1083	01-09-2016	1970.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540020	आतिथ्य सुविधा के लिए प्रतिपूर्ति
162	वी1204	16-09-2016	108020.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आकस्मिक ड्राईवरो को वेतन, ओटीए एवं परिवहन के लिए भुगतान
163	वी1398	14-10-2016	20413.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090549913	मंत्रालय के कम्प्यूटर/प्रिंटर एवं लैपटॉप एवं सर्वर की एएमसी हेतु भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

164	वी1493	27-10-2016	131708.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	एमडीडब्ल्यूएस के कार्यालय में लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
165	वी1513	28-10-2016	357954.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	आवश्यकता के आधार पर तथा मासिक आधार पर वाहनों को किराये पर लिये जाने हेतु भुगतान
166	वी1729	29-11-2016	1970.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	पुस्तकालय के लिए उपन्यास की खरीद हेतु भुगतान
167	वी1196	16-09-2016	4454.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540012	श्री अरुण बरोका को जेएफके विद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए (डीओपीटी प्रशिक्षण) में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एफटीए का भुगतान
168	वी1313	28-09-2016	23337.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540011	कोमल मित्रल, सहायक सचिव को एलबीएसएनए से दिल्ली तक का स्थानांतरण टिए का भुगतान
169	वी1341	04-10-2016	101190.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540011	सेवानिवृत्ति पर टिए का भुगतान
170	वी1414	18-10-2016	97966.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540011	सेवानिवृत्ति सचिव को स्थानांतरण पर टिए का भुगतान
171	वी1980	16-01-2017	120.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540011	सीपीजीआरएएम समीक्षा के लिए कार्यालय दूर हेतु भुगतान
172	वी2180	03-02-2017	30227.00	घरेलू यात्रा व्यय	221501102190211	345100090540011	योजना से संबंधित न होनेवाले कार्यालय दूर के लिए मेसर्स बाल्मर एवं लौरी को हवाई यात्रा टिकट का भुगतान
173	वी618	01-07-2016	8550.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	एसी तथा स्टेबलाईजर की मरम्मत हेतु भुगतान
174	वी619	01-07-2016	31978.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में विद्युत उपकरण की आपूर्ति/मरम्मत हेतु भुगतान
175	वी634	01-07-2016	3475.00	अन्य प्रशासनिक व्यय	221501102190420	345100090540020	आतिथ्य सुविधा के लिए प्रतिपूर्ति
176	वी1959	10-01-2017	7560.00	कार्यालय व्यय	221501102190213	345100090540013	टीडीएस के लिए ई-रिटर्न (24क्यू एवं 26क्यू) फाईल करने हेतु भुगतान

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

177	वी1973	16-01-2017	34410.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	स्टाफ कार सं. डीएल3सीसीसी-6501 की सर्विसिंग/मरम्मत करने हेतु भुगतान
178	वी1981	16-01-2017	714677.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के कार्य में लगे हुए सेवानिवृत्त व्यक्तियों को मासिक पारिश्रमिक एवं परिवहन का भुगतान
179	वी1998	16-01-2017	9000.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	गैर-लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान
180	वी2048	24-01-2017	110477.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय के स्टाफ कार के लिए पीओएल की प्राप्ति हेतु भुगतान
181	वी2240	10-02-2017	111264.00	अन्य प्रभार	221501102190250	345100090540013	मंत्रालय में हीटर की आपूर्ति हेतु भुगतान
		कुल	17862878				

अनुबंध 5.1

(पैराग्राफ 5.3.6 के संदर्भ में)

₹ एक करोड़ से अधिक की बचत (उप-शीर्ष स्तर)

उप-मुख्य	स्वीकृत प्रावधान	वास्तविक वितरण	बचत	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
2014-15				
3451.00.090.14	36.14	29.99	6.15	वित्त मंत्रालय और आर्थिक उपायों द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.101.01	1454.00	1082.49	371.51	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.101.02	769.00	747.17	21.83	---- वही -----
2810.00.103.01	14.00	12.44	1.56	कार्यान्वयन अभिकरणों से संपूर्ण प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.104.01	90.50	68.68	21.82	अनुसंधान संस्थानों द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों को प्रस्तुत न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.105.01	25.00	14.15	10.85	कार्यान्वयन अभिकरणों से संपूर्ण प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.105.02	26.25	25.21	1.04	उपयुक्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.105.05	13.00	6.90	6.10	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.105.06	12.00	3.96	8.04	---- वही -----
2810.00.105.08	2.00	0.97	1.03	---- वही -----
2810.00.789.01	25.00	15.00	10.00	---- वही -----
2015-16				
2810.00.101.01	2475.00	2458.99	16.01	कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.102.02	79.00	55.24	23.76	कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्तावों/उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने और वित्त

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

				मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.104.01	59.25	43.25	16.00	कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.105.02	2.48	0.76	1.72	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.789.03	8.00	5.33	2.67	राज्य नोडल अभिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण बचत हुई थी।
3601.03.105.01	40.00	37.25	2.75	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
4810.00.190.01	3.00	00.00	3.00	'मिनीरत्न' की स्थिति को प्राप्त करने पर बजटीय सहायता/गारंटियों के प्रति सरकार पर निर्भरता न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।
2016-17				
2810.00.101.01	3180.01	2824.23	355.78	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने, पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी और निर्धारित मापदंड को पूरा करते हुए पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.104.04	441.60	226.84	214.76	परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति और समापन रिपोर्टों/उपयोग प्रमाणपत्रों और राज्य नोडल अभिकरणों द्वारा व्यय की विवरणी प्रस्तुत न करने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.104.05	53.00	32.00	21.00	स्वायत्त निकायों से पर्याप्त प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण बचत हुई थी।
2810.00.789.01	163.00	122.27	40.73	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.789.04	5.00	00.00	5.00	अनुसंधान संस्थानों द्वारा अनुसंधान और विकास प्रस्तावों को प्रस्तुत न करने के कारण संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार के लेखे 2016-17

2810.00.796.02	87.00	69.48	17.52	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण बचत हुई थी।
2810.00.797.01	4947.00	3836.01	1110.99	व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों को अंतिम रूप न देने के कारण आरक्षित निधि के कम अंतरण के कारण बचत हुई थी।
3601.03.108.01	40.00	00.00	40.00	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं का कार्यात्मक शीर्षों में प्रावधान के अंतरण के कारण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।
3601.03.789.23	5.00	00.00	5.00	---- वही -----
4810.00.101.03	15.00	10.63	4.37	दिल्ली जल बोर्ड और केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलंब के कारण बचत हुई थी।